भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

बोली दस्तावेज

सीएजी के कार्यालय, नई दिल्ली में किराए पर सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पोकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110124

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

निविदा दस्तावेज

पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली और 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय भवन और वैशाली, गाजियाबाद के आवासीय कांपलैक्स हेतु सुरक्षा सेवाएं (सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा पर्यवेक्षक) किराए पर लेने के लिए

निविदा सं. 372-जीएसएस/57-2016 दिनांक 26.12.2016

विषय-सूची

भाग1- निविदा आमंत्रण नोटिस 03

भाग 2- बोली प्रस्तुति फार्म.....05

भाग 3- बोलीदाता को निर्देश 07

भाग 4- ठेके की सामान्य शर्तें (जीसीसी)..... 08

भाग 5- कार्य/सेवाओं का कार्यक्रम 32

भाग 6- कीमत सूची 39

भाग 7- फार्म

7.1 बोली प्रतिभूति फार्म.....44

7.2 बोलीदाता की प्रोफाइल 46

7.3 वित्तीय क्षमता के लिए फार्म.....49

7.4 करार की शर्तें का फार्म.....50

7.5 निष्पादन बैंक गारन्टी का फार्म.....52

7.6 बोली खुलने के समय उपस्थित होने के लिए अधिकार पत्र.....53

7.7 निकट संबंधियों के प्रमाण -पत्र 56

भाग 11- जांच सूची 57

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

भाग -1

(निविदा आमंत्रण नोटिस)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

निविदा आमंत्रण नोटिस

बयाना राशि जमा: *₹ 5,00,000/- (पांच लाख रूपए केवल)*
निविदा दस्तावेज लागत: *₹ 1,000/- (एक हजार रूपए केवल)*

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली और 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय भवन और वैशाली, गाजियाबाद के आवासीय कांपलैक्स हेतु सुरक्षा सेवाएं (सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा पर्यवेक्षक) किराए पर लेने के लिए पंजीकृत और प्राधिकृत एजेंसियों से मोहरबंद बोलियां आमंत्रित करता है।

अलग बोली प्रणाली के अंतर्गत यथावत भरे गए मोहरबंद बोली दस्तावेज (इएमडी सहित तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस), भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पोकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124 के नाम पर होने चाहिए और **31.01.2017 को 11.00 पूर्वाह्न** तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए।

मोहरबंद बोली दस्तावेजों को निर्धारित तारीख और समय पर इस कार्यालय के जीएस अनुभाग में पहुंचाया जाना चाहिए। निविदा दस्तावेजों को 3.00 अपराहन से 5.00 अपराहन के बीच किसी कार्य दिवस में पीएओ, महालेखाकर (लेखापरीक्षा), दिल्ली, नई दिल्ली के पत्र में नई दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से ₹ 1,000/- की निविदा लागत के भुगतान पर जीएस अनुभाग भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पोकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा दस्तावेजों को इस कार्यालय की वेबसाइट http://saiindia.gov.in (पब्लिक इंटरफेस>टेंडर नोटिस). से भी डाऊन लोड किया जा सकता है। वह बोलीदाता जो कार्यालय वेबसाइट से निविदा दस्तावेजों को डाऊनलोड करना चाहते हैं, उनको बोली दस्तावेजों एवं इएमडी सहित बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से ₹ 1000/- की निविदा लागत प्रस्तुत करनी चाहिए।

तकनीकी बोलियों को ऐसे बोलीदाताओं की उपस्थिति में, जो उपस्थित रहना चाहते हैं, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत समिति द्वारा 30.01.2017 को 3 बजे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के समिति कक्ष में खोला जाएगा। केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को इस उद्देश्य हेतु अधिकृत समिति द्वारा खोला जाएगा जिनकी तकनीकी बोलियां पात्र है। वित्तीय बोलियों के खुलने की तारीख, समय और स्थान की सूचना तकनीकी रूप से पात्र बोलीदातों का दी जाएगी।

सक्षम प्राधिकार को किसी या सभी बोलियों को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार है तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(दिनेश कुमार)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

भाग-2

बोली प्रस्तुति फार्म

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

बोली प्रस्तुति फार्म

दिनांक: .....

बोली पत्र

सेवा

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस),
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
पोकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली -110124.

संदर्भ: **निविदा सं. 372-जीएसएस/57-2016 दिनांक 26.12.2016** के लिए आमंत्रण

हम, अधोहस्ताक्षरी घोषणा करते हैं कि:

1. हमने जांच कर ली है और हमें बोलीदाताओं के लिए निर्देशों के अनुसार जारी किए गए एजेंडा सहित बोली दस्तावेजों पर कोई संदेह नहीं है।
2. हम बोली दस्तावेज के अनुरूप भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय के लिए सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए वचन देते हैं।
3. हमारी बोली, बोली दस्तावेजों के अनुसार बोली प्रस्तुति की अंतिम समय सीमा हेतु निर्धारित तारीख से 120 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी और यह हम पर बाध्यकारी होगी तथा उस अवधि के समापन से पहले किसी भी समय स्वीकार्य होगी।
4. यदि बोली स्वीकार की जाती है, तब हम बोली दस्तावेजों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति जमा कराने का वचन देते हैं।
5. हम यह भी घोषणा करते हैं कि भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय ने हमें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण या प्रतिरोधी कार्यकलापों या गंभीर प्रवृति की किसी विफलता/चूक में शामिल होने के आरोप पर अपात्र घोषित या काली सूची में नहीं डाला है।
6. हम इस बोली दस्तावेज की सभी शर्तों एवं निबंधनों को भी स्वीकार करते हैं और इस शर्त सहित उनके पालन का वचन देते हैं कि आप उच्चतम रैंक की बोली/ न्यूनतम बोली या किसी अन्य बोली जो प्राप्त करेंगे, को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

भवदीय,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(अधिकृत व्यक्ति बोलीदाता कम्पनी की तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकार पत्र की प्रति संलग्न करें)

पूरा नाम और पदनाम
(बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर मुद्रित)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

भाग-3

बोलीदाता को निर्देश

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

बोलीदाता को निर्देश

1. सामान्य निर्देश

1.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, जिसे बाद में सुरक्षा सेवा भर्ती के लिए अर्थात् अपने कार्यालय भवन और आवासीय परिसर के लिए एक एजेंसी की सेवा सुरक्षा पर्यवेक्षक/सुरक्षा गार्ड की सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहक के रूप में सन्दर्भित किया जाऐगा। सुरक्षा कार्मिको की आवश्यकताओं का विवरण निम्न प्रकार किया जायेगाः

सेवाओं का विवरण	**स्थिति**	**गार्ड/सुपरवाइजर की आवश्यक संख्या**	**घंटे**	**ईएमडी**	**तिथि और बोली जमा करने के लिए की तिथि**
सुरक्षा सुपरवाइजर	पॉकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124	3	8 घंटे प्रत्येक	5,00,000/- (3 महीनो के लिए वैध)	30.01.2017 से पूर्वाहन 11.00 बजे से
सुरक्षा सुपरावइजर	10 बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली- 110124	3	8 घंटे प्रत्येक		
सुरक्षा गार्डस	पॉकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124	26	8 घंटे प्रत्येक		
सुरक्षा गार्डस (पूर्व-सैनिक)	पॉकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124	06			
सुरक्षा गार्डस	10 बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली- 110124	18	8 घंटे प्रत्येक		
सुरक्षा गार्डस (पूर्व-सैनिक)	10 बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली- 110124	03	8 घंटे प्रत्येक		
सुरक्षा गार्डस	आवासीय परिसर रवि टावर वैशाली	06	8 घंटे प्रत्येक		

1.2 सील बंद बोली दस्तावेज निर्धारित तिथि और समय तक इस कार्यालय के जीएस अनुभाग तक पहुँच जानी चाहिये। बोली दस्तावेज 3:00 बजे अपराहन और 5.00 बजे अपराहन के बीच किसी भी कार्य दिवस में नई दिल्ली में देय, पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे आदेश के माध्यम से ₹ 500/- के निविदा शुल्क के भुगतान पर जीएस अनुभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त किये जा सकते हैं।

1.3 निविदा दस्तावेज इस कार्यालय की वेबसाईट http://saiindia.gov.in (सार्वजनिक इंटरफेस>निविदा सूचना). से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। वे बोलीदाता जो निविदा दस्तावेज कार्यालय की वेबसाईट से डाउनलोड करना चाहते है को बोली दस्तावेजों और ईएमडी सहित बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से ₹ 500/- का निविदा शुल्क प्रस्तुत करना होगा।

1.4 यद्यपि निविदा दस्तावेजों का तैयार करने में त्रुटियों से बचने के लिये सभी प्रयास किये गये हैं, बोलीदाता को उसकी ध्यानपूर्वक जांच करने की सलाह दी जाती है। निविदा दस्तावेजों में पाई गई किसी भी त्रुटि के संबंध में किसी भी दावे को नहीं माना जायेगा।

1.5 निविदा दस्तवेजों के सभी पृष्ठ ठेके की विभिन्न शर्तों सहित पूर्ण निविदा दस्तावेज स्वीकृत होने और स्वयं/अपने को ज्ञात होने के टोकन के रूप में निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मुद्रांकित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। कोई भी बोली किसी भी दस्तावेज के हस्ताक्षरित न होने पर पक्षकार के निर्णय पर अस्वीकृति के अधीन है। इस बोली दस्तावेज में से कोई भी **पृष्ठ हटाया/अलग नहीं किया जाना चाहिए।**

1.6 बोलीदाता को बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकार के प्रमाण के तौर पर अधिकार पत्र/मुख्तारनामे की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

1.7 सभी बोलीदाताओं को यहॉ स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि ठेके की शर्तो से विचलन के प्रस्ताव या सशर्त प्रस्ताव, न्यूनतम अर्हता मानदंड पूरी न करने वाली बोली, तकनीकी बोली, अपेक्षित राशि/रूप में ईएमडी के साथ न प्रस्तुत या निविदा दस्तावेजों में निर्धारित अन्य कोई भी शर्त अस्वीकृति के अधीन है।

1.8 बोलीदाता कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत केवल प्राइवेट/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। स्वामित्व कंपनी/सेयुक्त उद्यम सहायता संघ/सहभागिता कम्पनी को बोली लगाने की अनुमति नहीं है।

1.9 बोली के पक्ष 'बोलीदाता' (जिन्हें कार्य दिया गया है) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली होंगे।

1.10 ठेके के सभी उद्देश्यों के लिये उसके अधीन विवाचन सहित, बोली में उल्लिखित बोलीदाता का पता अंतिम होगा जब तक बोलीदाता भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय से पावती सहित रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अलग से पत्र द्वारा पते मे परिवर्तन की सूचना नहीं देता। उपरोक्त तरीके से पते में परिवर्तन सूचित करने मे त्रुटि या किसी भी चूक के परिणाम के लिये बोलीदाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

1.11 सुरक्षा कर्मिकों की आवश्यकता अस्थायी है और ग्राहक के सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण स्वनिर्णय पर बढाया या घटाया जा सकता है ।

2. न्यूनतम पात्रता मानदंड

बोलीदाता के तकनीकी रूप से चयन के लिये न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नलिखित होंगे।

क. **कानूनी वैध इकाई:** बोलीदाता आवश्यक रूप से कानूनी तौर पर वैध इकाई होना चाहिये। बोलीदाता को कानूनी वैधता के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

ख. **वित्तीय क्षमता:** बोलीदाता का **पिछले 3 वित्तीय वर्षों में (2013-14, 2014-15, और 2015-16) प्रत्येक का रूपये तीन करोड़** का न्यूनतम कारोबार होना चाहिए। समर्थन में उचित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

ग. **पीएएन:** बोलीदाता आयकर विभाग, सेवा कर विभाग और श्रम कानूनों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत होना चाहिए। सहायक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

घ. **अनुभव**: बोलीदाता को लगातार पिछले पांच वर्षों के लिये सरकारी विभागों और पांच सितारा होटलो के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का समान क्षेत्र में अनुभव होना चाहिये। समर्थन में उचित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

ड़ अनुज्ञप्ति बोलीदाता के पास निजी सुरक्षा संस्था के अधिनियम 2005 (विनियामक) (पीएसएआर) के तहत संबंधित राज्य नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा एक वैध अनुज्ञपित होनी चाहिए।

2.1 न्यूनतम पात्रता मानदंड के समर्थन में दस्तावेज

(i) 2(क) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में केवल संबंधित कंपनियों/फर्मों के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी वैट निगमन के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ही स्वीकार्य होगी।

(ii) 2(ख) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में, पूर्ण तीन वित्तीय वर्ष अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिये **लेखापरीक्षित तुलन पत्र** की सत्यापित प्रति।

(iii) 2(ग) में न्यूनतम पात्रता मानदंड के पूर्ण पालन के प्रमाण में **पैन** की सत्यापित प्रति श्रम पंजीकरण प्रति ईपीएफओ प्रति, ईएसअईसी पंजीकरण प्रति स्वीकार्य होगी।

(iv) 2(घ) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में अनुभव होने के समर्थन में सरकारी विभागों होटल/प्रबंधन द्वारा जारी कार्य कार्य आदेशों/संविदा अनुबन्ध तथा अनुभव प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति स्वीकार्य होगी।

(v) 2(घ) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में, निजी सुरक्षा संस्था अधिनियम 2005 (विनियामक) (पीएसएआर) के तहत संबंधित राज्य नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की सत्यापित प्रति स्वीकार्य होगी।

3. बयाना राशि

3.1 यह बोली किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹ 5,00,000/- (₹ पांच लाख केवल) की बयाना राशि सहित होनी चाहिये। बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट की वैधता बोली को प्रस्तुत करने की तिथि से शुरू 3 (तीन) महीनों तक होनी चाहिए। बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के पक्ष में और नई दिल्ली में देय होना चाहिये।

3.2 किसी भी पिछले कार्य के संबंध में विभाग द्वारा किसी भी लंबित बिल के प्रति समायोजन या सुरक्षा जमा या कोई भी पहले जमा की गई बयाना राशि के स्थानांतरण के लिये कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3.3 बोलीदाता को इसकी निबंधन एवं शर्तों में संशोधन या अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि बोलीदाता इसमें किये गये करार के पालन और पूरा करने मे विफल रहे या दर प्रस्तुत करने के बाद पीछे हटे, उपरोक्त बोली सुरक्षा सरकार के पास जब्त कर ली जायेगी।

3.4 बयाना राशि के बिना बोली तुरंत खारिज कर दी जायेगी।

3.5 बयाना राशि या सुरक्षा जमा की राशि पर ब्याज या मूल्य में कटौती के संबंध में सरकार/विभाग के प्रति कोई दावा नहीं होगा।

3.6 निम्नलिखित मामलों में बोली सुरक्षा (बयाना राशि)/निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी:

(i) यदि बोलीदाता अपनी बोली बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट बोली रूप में वैधता अवधि

के दौरान वापिस ले।

अथवा

(ii) सफल बोलीदाता के मामलें में, यदि बोलीदाता

क) निविदा के अनुसार ठेका निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल हो; अथवा

ख) यदि निविदा दस्तावेज के मामलें में ग्राहक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवश्यक निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

ग) सेवाओं के लिए अपने द्वारा उद्दत मूल्यों या उसके भाग का सम्मान करने में विफल रहता है या मना कर देता है।

घ) इस मामले में, बोलीदाता, भविष्य में निविदा प्रक्रिया के लिए काली सूची में डालने के लिए योग्य भी हो जायेगा।

3.7 जमा बयाना राशि के लिए कोई भी ब्याज देय नहीं होगा-

4. बोली की वैधता

4.1 बोली, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 120 दिनों की अवधि के लिये अनुमोदन हेतु वैध और खुली रहेगी।

4.2 यदि पक्षकार बोलीदाता को बातचीत के लिये बुलाता है तो वास्तविक प्रस्ताव जो बोलीदाता पर बाध्यकारी है, के रद्दीकरण या वापसी के समान नहीं होगा।

4.3 ग्राहक, बिना किसी संशोधन और इसका बिना कोई कारण दिये, 60 दिनों की अधिक अवधि बढ़ाने के लिये अनुरोध कर सकता है।

5. बोली की तैयारी

5.1 तकनीकी बोलीः बोली सभी अपेक्षित जानकारी, न्यूनतम पात्रता मानदंड के समर्थन में दस्तावेजों, अपेक्षित राशि के वैध ईएमडी सहित निविदा दस्तावेज में दिये गये निर्देशों के अनुसार तैयार की जानी चाहिये।

क. कंपनी के लेटरहेड पर उचित रूप से हस्ताक्षरित और प्रिंटेड बोली प्रस्तुीकरण फॉर्म

ख. निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित और मुंद्राकित

ग. वचन सहित बोलीदाता का वर्णन

घ. वित्तीय क्षमता फार्म हस्ताक्षरित और मुद्रांकित

इ. ₹ 5,00,000/- की बयाना राशि जमा,

च. नयूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में सभी सत्यापित सहायक दस्तावेज जैसा निविदा दस्तावेज में संदर्भित है

छ. कीमत अनुसूची, यथा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित।

तकनीकी बोली एक सील किये हुए लिफाफे में पृथक रूप से रखी जानी चाहिए जिस पर बोलीदाता के नाम व पते सहित'' निविदा सं. 372/जीएस/57-2016 दिनांक 26 दिसम्बर 2016 लिखा हुआ हो।

5.2 वित्तीय बोलीः बोलीदाता द्वारा निविदा दस्तावेज में प्रस्तुत की गयी मूल्य अनुसूची के अनुरूप वित्तीय बोली को तैयार किया जाना चाहिए। वित्तीय बोली बोलीदाता का नाम और पते हित निविदा सं. 372-जीएस/57 2016 दिनांक 26 दिसम्बर 2016 लिखा हुआ हो।

6. बोली का प्रस्तुतीकरण

6.1 बोलीदाता को सील किये हुए लिफाफे मे जिसमें दो पृथक सील लिफाफे पर (i) तकनीकी बोली, (ii) वित्तीय बोली स्पष्ट रूप से अंकित करके जमा करनी चाहिए।

6.2 बोलीदाता अपनी बोली भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस) को सम्बोधित करते हुए दिनांक 30 जनवरी 2016 के 11 घंटो के बाद प्रस्तुत नहीं करेगा।

6.3 बोलीदाता अपनी बोली कोरियर से भेजते समय यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनकी बोली नियत तिथि तथा समय पर उपरोक्त पते पर प्राप्त हुई है। कोरियर के लिए समय विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा।

6.4 बोली अधिसूचना में नियत तिथि तथा समय से पहले उपरोक्त निर्दिष्ट पते पर कार्यालय मे प्राप्त हो जानी चाहिए। उक्त समय तथा तिथि के पश्चात कोई बोली स्वीकार नहीं होगी। हालांकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को बोलियां खोलने से पूर्व बोली प्राप्ति के लिए तिथि/समय को बढ़ाने का अधिकार आरक्षित है। बोली प्रस्तुतीकरण के लिए नियत उपरोक्त समय-सीमा के बाद कार्यालय में प्राप्त किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा तथा बिना खोले बोलीदाता को वापिस की जाएगी।

7. बोली खोलने की प्रक्रिया

7.1 बोलीदाता उपस्थित होने के इच्छुक हो, की उपस्थिति में अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2017 को 3.00 बजे अपराह्न में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय नई दिल्ली के समिति कक्ष में खोली जाएगी।

7.2 वित्तीय बोली केवल उन बोलीदाताओं के लिए है जिनकी तकनीकी बोलियां स्वीकार की गई है, इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत सीमिति के द्वाराखोली जायेगी। वित्तीय बोलियों को खोले

जाने की तिथि, समय और स्थान के विषय में तकनीकी रूप से योगय बोलीदाताओं को सूचित किया जायेगा।

7.3 बोली खोलने से पूर्व बोलीदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा एक प्राधिकारण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

7.4 बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति से बोली खोलने की प्रक्रिया की वैधता कम नहीं होगी।

7.5 बोली की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपस्थित बोली दाता अथवा उनके प्रतिनिधियों से मुख्य बोली के लिफाफे पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है।

7.6 बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि द्वारा बोली लिफाफे पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर निविदा खोलने वाली समिति के निर्णय पर उसकी बोली को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

7.7 तकनीकी बोली खोलने और ईएमडी राशि का सत्यापन, के बाद निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट बोली लगाने के लिए-न्यूनतम पात्रता मानदंडो का पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी बोलियों का बाद में मूल्यांकन किया जायेगा।

7.8 बोली की वैधता और अवैधता निविदा खोलने वाली समिति द्वारा किये गये प्रारम्भिक संवीक्षा के आधार पर उद्घोषित किया जायेगा, यद्यपि, विस्तृत मूल्यांकन केवल वैध बोली का ही किया जायेगा।

7.9 अवैध बोलियॉ उसी समय वापिस की जाएगी, यदि बोली दाता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित है। अन्य मामलों में बोलियॉ निविदा खोलने वाली समिति की टिप्पणी सहित उनके पते पर स्पीडपोस्ट द्वारा प्रेषित की जाएगी।

8. तकनीकी बोली मूल्यांकन का स्पष्टीकरण

8.1 तकनीकी बोलियां बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मूल्यांकित की जाएगी। बोलियों की जांच, मूल्यांकन तथा तुलना करने तथा बोलीदाताओं की अर्हता में सहायता करने के लिए ग्राहक अपने विवेक से, किसी भी बोलीदाता से इसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी स्पष्टीकरण जो ग्राहक द्वारा किये गए अनुरोध के प्रत्युतर में नहीं होगा, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण एवं प्रतिक्रिया के लिए ग्राहक का अनुरोध लिखित में होगा।

8.2 यदि बोलीदाता स्पष्टीकरण के लिए ग्राहक के अनुरोध में निर्धारित तिथि तथा समय में अपनी बोली का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है तो उसकी बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

8.3 खण्ड 2.1 के अनुसार ग्राहक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों पर जारीकर्ता एजेन्सी से पुष्टि/स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार भी रखता है।

9. तकनीकी बोली मूल्यांकन (अलग प्रकार से)

9.1 ग्राहक पृथक बोली मूल्यांकन प्रणाली का अनुसरण करेगा जहां तकनीकी बोली व वित्तीय बोली अलग से मूल्यांकित की जाएगी।

9.2 तकनीकी बोली मूल्यांकन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा:

(i) बोली की जवाबदेही यानी प्राधिकार पत्र सहित विधिवत रूप से भरा हुआ, हस्ताक्षरित किया हुआ तथा पूर्ण रूप से स्वीकृत बोली दस्तावेज की प्रक्रिया।

(ii) स्वीकार्य प्रारूप में अपेक्षित राशि सहित वैध ईएमडी की प्राप्ति।

(iii) न्यूनतम अर्हता मानदण्ड पूरे करने के सबूत में दस्तावेज़।

(iv) निविदा के अनुसार बोलीदाता की जवाबदेही के समर्थन में अन्य दूसरे अपेक्षित दस्तावेज।

9.3 काफी हद तक उत्तरदायी बोली वह होगी जो समग्रता बोली दस्तावेज की आवश्यकताओं की पूरा करती है। निविदा दस्तावेज के अनुसार न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी न करने वाली तकनीकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी और उनका वित्तीय प्रस्ताव बिना खोले वापिस कर दिया जाएगा।

9.4 केवल तकनीकी मूल्यांकन स्तर में अर्हता प्राप्त बोलीदाता को वित्तीय बोली खोलने के लिए बुलाया जाएगा। ग्राहक बोलीदाताओं को लिखित में वित्तीय बोली खोलने के लिए समय/स्थान सूचित करेगा।

10. वित्तीय बोली खोलने की प्रक्रिया

10.1 तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त सभी बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियॉ उन अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति मे निर्धारित दिनांक व समय को खोली जाएगी जो वित्तीय बोली खोलने के समय पर उपस्थित रहना पसन्द करेगें।

10.2 सभी अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि जो वित्तीय बोलियों को खोलने के समय उपस्थिति रहते हैं को वित्तीय बोली वाले मुहरबंद लिफाफे पर हस्ताक्षर करने होंगे।

10.3 कोई भी बोलीदाता जो इस पर आपत्ति करेगा को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी वित्तीय बोली को तुरन्त वापिस कर दिया जाएगा।

10.4 बोलीदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति से प्रक्रिया की वैधता कम नहीं होगी।

10.5 वित्तीय बोली की कीमत जैसा प्रत्येक बोलीदाता की वितीय बोली प्रस्तुती प्रपत्र में इंगित है, को मौके पर तुरन्त पढा जाएगा, तथापि, यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि अन्तिम वित्तीय बोली कीमत विस्तृत रूप से वित्तीय बोली में संवीक्षा/सुधार की अंकगणितीय त्रुटि के बाद निकाली जाएगी।

10.6 सबसे कम बोली लगाने वाला अकेला बोलीदाता होना वित्तीय बोली की संवीक्षा से पूर्व सबसे कम बोली लगाने वाले को यह दावा करने का अधिकार नहीं देता कि वह बोली प्रकिया मे सफल है।

11. सफल बोलीदाता का निर्धारण

11.1. वह बोलीदाता जो अंकगणितीय सुधार के अधिन न्यूनतम बोली कीमत के साथ न्यूनतम अर्हता मानदण्ड को पूरा करेगा, सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा।

11.2. न्यूनतम कीमत बोली (समान कहा जा सकता है) के साथ, एक से अधिक बोलीदाता के मामले में वह बोलीदाता जिसका गत 3 वित्तीय वर्ष का अधिकतम 'संचयी वार्षिक टर्नओवर' होगा को बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साक्ष्य की प्रस्तुती के संबंध में 'सफल बोलीदात' माना जाएगा।

12. स्वीकृति का अधिकार:

12.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उन बोलीदाताओं को बिना किसी बोली में शामिल किए बिना कोई कारण बताएं अनुदेशों का अनुपालन करने मे विफल होने पर अस्वीकृत करने का अधिकार है और **वह सबसे न्यूनतम और अन्य किसी विशिष्ट बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।** इस सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

12.2 निर्धारित प्रक्रिया पालन करने के लिए बोलीदाता की ओर से कोई भी विफलता तथा कार्य के लिए कैनवास करने का कोई भी प्रयास बोलीदाता की बोली के निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

12.3 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को किसी भी सफल एजेंसी को अपने विवेक से पूर्ण अथवा आंशिक संविदा प्रदान करने का अधिकार है तथा यह बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

12.4 एजेंसी जिसे करार दिया गया है द्वारा वर्णित निबंधन एवं शर्तों में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन करने मे असफल होने पर, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को किसी भी उच्च बोलीदाता या अन्य बाह्य एजेंसी को ठेका देने अधिकार है तथा कीमतों की भिन्नता चूककर्ता एजेन्सी से वसूली की जाएगी जिसे प्रारम्भिक संविदा प्रदान की गई है और यह बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगी।

12.5 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को संविदा को समाप्त करने अधिकार है यदि यह पाया जाता है कि बोलीदाता को जिसे संविदा दी गई है, किसी भी सरकारी विभाग/संस्थानों/स्थानीय निकायों/ नगर पालिकाओं/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि द्वारा पिछले अवसर पर ब्लैक लिस्ट किया गया है।

13. 'स्वीकृति पत्र' जारी करके ठेका प्रदान किये जाने की अधिसूचना

13.1 सफल बोलीदाता का निर्धारण करने के पश्चात, ग्राहक सूची में शामिल उन सभी एजेंसियों/फर्मों को एक डुप्लीकेट प्रति में स्वीकृति पत्र जारी करेगा जो उनके द्वारा उससे इसकी प्राप्ति के **तीन (03) दिनों** के अन्दर, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से भरी हुई, स्वीकृत की गई व हस्ताक्षरित की गई एक प्रति वापिस करेगें।

13.2 बोलीदाता को स्वीकृति पत्र जारी करना संविदा का एक अभिन्न अंग होगा तथा यह संविदा पर बाध्यकारी होगा।

13.3 एलओए जारी करने तथा प्रक्रिया प्रारंभ करने के नोटिस की तिथि के बीच लिया गया समय ठेकेदार को संघटन से नहीं रोकेगा।

14. निष्पादन बैंक गारन्टी (प्रतिभूति जमा)

14.1 सफल बोलीदाता स्वीकृति पत्र की स्वीकृति के पन्द्रह दिनों के अन्दर पीएओ प्रधान महालेखाकार (ले.प.) दिल्ली, नई दिल्ली के पक्ष में नई दिल्ली में भुगतान योग्य संविदा के अनुमानित मूल्य के 10% के बराबर, जैसा भी ग्राहक द्वारा निर्धारित किया जाए, राशि किसी भी राष्ट्रीय बैंक की गारन्टी/सावधि जमा के रूप में निष्पादन बैंक गारन्टी निष्पादित करेगा।

14.2 बैंक गारन्टी को संविदा की किसी निबंधन/शर्त का गैर अनुपालन या असंतोषजनक निष्पादन या कार्य आदेश की गैर स्वीकृति अथवा किसी भी लापरवाही या उल्लंघन के मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में ठेकेदार को क्लाइंट द्वारा ब्लैक लिस्टिड किया जा सकता है। संविदा की समाप्ति पर उपरोक्त बैंक गारन्टी का ऐसा भाग फर्म के बिल पर किसी गलत या अत्यधिक भुगतान को कवर को करने के लिए भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा रखा जा सकता है, जब तक फर्म के बिल के लेखे पर अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति अथवा जांच नहीं हो जाती।

क) यदि संविदाकार को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिभूति को जमा करने के लिए बुलाया जाता है और संविदाकार विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रतिभूति जमा कराने में असफल रहता है तो ऐसी असफलता को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय संविदाकार के जोखिम, लागत तथा खर्च पर अन्य प्रबन्ध करने का हकदार होगा।

ख) सभी संदर्भो में संविदा के उचित निष्पादन तथा समापन पर जमा प्रतिभूति निर्धारित फार्म में पूर्ण बेबाकी प्रमाण पत्र की प्रस्तुती पर तथा खरीददार से संबंधित ठेकेदार को जारी किये गए किन्हीं विनिर्देशनों, नमूनों अथवा अन्य सम्पत्ति की अच्छी अवस्था में वापसी पर बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को वापिस की जाएगी।

15. कार्यवाही करने का नोटिस

सफल बोली दाता से एलओए की स्वीकृति तथा निष्पादन बैंक गारन्टी सुनिश्चित करने के पश्चात, ग्राहक ठेकेदार को प्रासंगिक सूचना/इनपटों के साथ कार्यालय में प्राधिकृत करते हुए 'कार्यवाही करने का नोटिस' जारी करेगा।

16. संविदा करार पर हस्ताक्षर करना

16.1 सफल बोलीदाता संविदा करेगा तथा करार की शर्तों के अनुसार संविदा करार पर हस्ताक्षर करेगा।

16.2 ग्राहक दोनो पक्षों के बीच करार की सभी शर्तों को उचित रूप से शामिल करते हुए इस दस्तावेज में शामिल प्रोफोमा में मसौदा करार की शर्तें तैयार करेगा तथा सफल बोलीदाता की सहमति हेतु इसे डुप्लीकेट रूप में उसे भेजेगा।

16.3 सफल बोलीदाता ग्राहक से मसौदा करार की शर्तों की प्राप्ति के **दो (02) दिनों** के अन्दर सही राशि के स्टाम्प पेपर पर उचित रूप से छापी गई, स्टाम्प के रजिस्ट्रार द्वारा उचित रूप से निर्णीत, जहां संविदा की जानी प्रस्तावित है, मसौदा करार की शर्तों की उचित रूप से सहमत प्रतियां वापस करेगा।

16.4 ग्राहक का सक्षम प्राधकारी संविदा करार पर हस्ताक्षर करेगा तथा इसकी एक प्रति सफल बोलीदाता को वापस करेगा।

17. बयाना राशि जमा (बोली प्रतिभूती राशि) वापिस करना

17.1. तकनीकी बोली मूल्यांकन स्तर में असफल बोलीदाता की बयाना राशि जमा योग्य वित्तीय बोलियों को खोलने के 7 दिन बाद उनकी खोली न गई वित्तीय बोलियों के साथ वापिस कर दी जाएंगी।

17.2 तकनीकी बोली मूल्यांकन स्तर में असफल बोलीदाता की बयाना राशि जमा असफल बोलीदाता को ठेका देने पर 7 दिन के अन्दर वापिस कर दी जाएगी।

17.3. बोलिया खोलने के बाद निविदा के रद्दीकरण के मामले में और वित्तीय बोलियां खोलने से पूर्व सभी बोलीदाताओं की बयाना राशि जमा उनकी खोली न गई वित्तीय बोलियों के साथ वापिस कर दी जाएंगी।

17.4. बयाना राशि जमा पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

18. दिवालियापन

18.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय का सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसी घटना पर ठेकेदार को बिना मुआवजे के सरसरी तौर पर लिखित में नोटिस द्वारा ठेका समाप्त कर सकता है जो इस प्रकार है:

यदि ठेकेकेर को किसी भी समय दिवालिया घोषित होने पर या उसके विरूद्ध उसकी सम्पत्ति के प्रशासन के लिए प्राप्त आदेश या आदेशो या परिसमापन के लिए कोई कार्रवाई या उस समय लागू नहीं किसी दिवालियापन के तहत कोई संरचना या कोई सुविधा या उसके कार्य के प्रयास या कोई प्रबंधन करता है या अपने लेनदारो के साथ समझौता या भुगतान स्थगित करे यदि फर्म भागीदारी के तहत भंग की जाती है अथवा;

i. यदि ठेकेदार के परिसमापन के लिए आदेश करेगा या डिबेंचरधारक की ओर से प्रबंधक या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति की जाए या ऐसी परिस्थिति उत्तपन्न हो जो न्यायालय या डिबेंचर धारक को प्राप्तकर्ता य प्रबंधक की नियुक्ति का हकदार बनाए।

ii. यदि ठेकेदार इस ठेके का उल्लंघन करता है जिसका किसी विशिष्ट रूप से सबूत न हो, बशर्ते कि ऐसी अवधारणा कार्रवाई के किसी अधिकार को क्षति नहीं पहुंचाएगी या उपचार उपचित किया जाएगा या उसके बाद क्लाइंट को उपार्जित होगा और प्रदान किया गया है कि ठेकेदार खरीददार को किसी अतिरिक्त व्यय के भुगतान का दायी होगा, इस प्रकार वह, किसी लाभ या पुन: खरीद का हकदार नहीं होगा।

19 बोली की मुद्रा और भुगतान

19.1 बोलीदाता अपनी बोली कीमत/प्रस्ताव भारतीय रूपये में प्रस्तुत करेगा और इस ठेके के अन्तर्गत भुगतान भारतीय रूपये में किया जाएगा।

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016

भाग -4

करार की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

1. परिभाषाएं

1.1 सामान्य

अनुसूचियों सहित इस संविदा में निम्नलिखित शब्दों व वाक्याशों का अर्थ (जब तक संदर्भ में अन्यता अपेक्षित ना हो) इस अनुसूची में उन्हें दिया गया अर्थ है।

"करार"	'करार' तथा 'संविदा' शब्द को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया गया है।
पार्टी	'पार्टी' शब्द से अभिप्राय उस सफल बोलीदाता से है जिसको गार्ड सेवा उपलब्ध कराने का कार्य दिया गया है तथा ग्राहक ''भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय'' है।
स्वीकृति पत्र	का अर्थ गार्ड सेवा उपलब्ध कराने के लिए सफल बोलीदाता को अपने परिसर में लगाने की ग्राहक की इच्छा से है।
कार्यवाही का नोटिस	का आशय उस तिथि से होगा जबसे गार्ड सेवा को ग्राहक के परिसर में प्रारंभ किया गया हैं।
'आतंकी कार्य'	का अर्थ या संदर्भ किसी भी प्रकार के आतंकी कार्य जो बल या हिंसा के प्रयोग तक सीमित न हो तथा/अथवा उसके तहत धमकी हो जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, चाहे अकेले या किसी की ओर से या संगठन अथवा सरकार से संबंधित, राजनीतिक,धार्मिक विचारधारा या समान उद्देश्यों के लिए जिसमें किसी सरकार को प्रभावित करने तथा/अथवा जनता या जनता के किसी वर्ग को डराने का इरादा है।
'जैविक या रसायनिक संदूषण'	का अर्थ संदूषण, जहरीला या जैविक अथवा रसायनिक पदार्थो के प्रभाव के कारण वस्तुओ के उपयोग के निवारण तथा/अथवा सीमितता है।
'कम्प्यूटर वायरस'	का अर्थ और संदर्भ किसी भी प्रकार की एक कम्प्यूटर प्रणाली या नेटवर्क के माध्यम से खराब हानिकारक या अन्यथा अप्राधिकृत निर्देशो या कोड प्रोग्रामेटिक या अन्यथा जिसमें अप्राधिकृत निर्देशो के समूह को दोषपूर्ण तरीके से प्रवेश कराया जाए। कम्प्यूटर वायरस में 'ट्रोजन होर्स' 'वार्मस' तथा 'टाइप ऑर लॉजिक बाम्ब' शामिल है।
'गोपनीय सूचना'	का अर्थ उस सूचना से है जो सामान्य तौर पर ज्ञात नहीं होती तथा संविदा की अवधि के दौरान प्राप्त/मिली है तथा वाणिज्यिक मूल्य वाली सूचना सहित ग्राहक के व्यवसाय/परिसम्पत्ति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित

है।

'इलेक्ट्रानिक डाटा'	का अर्थ तथा संदर्भ उन तथ्यों, अवधारणाओं और सूचना जो संचार, विवेचन या इलेक्ट्रोमेकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग अथवा इलेक्ट्रानिक द्वारा प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रानिक तरीके से नियंत्रित उपकरणो के लिए प्रयोज्य रूप में रूपान्तरित हो तथा जिसमें डाटा की प्रोसेसिंग तथा हेर फेर के लिए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर तथा अन्य कोडिड निर्देश तथा उपकरणो में हेर फेर सम्मिलित है।
'परमाणु जोखिम'	का अर्थ तथा तात्पर्य किसी परमाणु ईंधन अथवा किसी परमाणु अपशिष्ट से अथवा परमाणु ईंधन के दहन से, किसी विस्फोटक परमाणु समूह अथवा उसके परमाणु घटक के रेडियोधर्मी विषाक्त विस्फोटक अथवा अन्य हानिकारक गुणो से रेडियोधर्मिता द्वारा आयनीकरण विकिरण अथवा संदूषण है।
समाप्ति तिथि	का आशय या तो एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दी गई समाप्ति सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से है, जिससे संविदा समाप्त हो जाएगी।
समाप्ति नोटिस	का आशय एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिए गए समाप्ति नोटिस से है।
संविदाकार	का आशय उस सफल बोलीदाता से है जिसे ग्राहक के परिसर में गार्ड सेवा उपलब्ध कराने का कार्य दिया गया है।

1.2 गोपनीयता

1.2.1 ठेकेदार ग्राहक के व्यापार अथवा सुरक्षा प्रबन्ध (कार्य निर्देश, कार्यक्रम तथा अन्य अनुवर्ती करारो सहित परन्तु इन तक सीमित नहीं) को किसी तीसरे पक्ष को बताने, प्रकट करने तथा/अथवा प्रचारित न करने के लिए सभी सावधानी बरतेगा। दायित्व किसी कार्यक्षेत्र तक सीमित नहीं है तथा ठेकेदार को ग्राहक की सूचना की गोपनीयता के उल्लंघन के मामले में उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

1.2.2 यदि ठेकेदार से प्रैस/समाचार/मीडिया/ रेडियो/ टेलीविजन अथवा अन्य निकायों/व्यक्ति पूछताछ करते है तो ठेकेदार द्वारा ऐसी पूछताछ होने पर उसे तुरन्त ग्राहक को भेजना चाहिए।

1.2.3 सुरक्षा कर्मचारी किसी भी रूप में कोई आभार, टिप अथवा पारितोषिक स्वीकार नहीं करेगा।

2. ग्राहक द्वारा अपेक्षित सेवाएं

2.1 ठेकेदार आवश्यकता अनुसूची में बताए गए कार्य निर्देशों के साथ पठित इसमें निहित विवरणो के अनुसार ग्राहक के परिसर में अथवा ग्राहको द्वारा अपेक्षित किसी अन्य स्थान पर गार्ड सेवा प्रदान करेगा।

2.2 ग्राहक बोली प्रक्रिया के समय ग्राहक एवं ठेकेदार के बीच सहमति के अनुसार प्रभारों का भुगतान करेगा। प्रभारो की अनुसूची बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर राशि को अन्तिम रूप देने के पश्चात करार की शर्तो के साथ संलग्न की जाएगी।

2.3 ठेकेदार सभी स्थानो में 8 घंटे की शिफ्ट में सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार ग्राहक के परिसर में इसकी सम्पूर्ण संतुष्टि के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेगा तथा यह ठेकेदार का एकमात्र दायित्व है कि कार्य ठेकेदार के उत्तरदायित्व के अनुसार सभी संदर्भो में क्रियान्वित हो।

3. सेवाओं का प्रारंभ

संविदा कानूनी रूप से बाध्यकारी एवं लागू होगी:

3.1 निष्पादन बैंक गारंटी का प्रस्तुतीकरण

3.2 ठेकेदार ग्राहक के परिसर में कार्य करने के नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनो के अन्दर गार्ड सेवा आरंभ करेगा।

3.3 ठेकेदार ग्राहक के कार्यालय को गार्ड सेवा के आरंभ होने के पश्चात उनकी फर्म द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ तथा पुलिस द्वारा सत्यापन के साथ सुरक्षा स्टॉफ के संदर्भ में विस्तृत बायोडाटा प्रस्तुत करेगा। शर्तो को पूरा करने के मामले में, ठेका समाप्त किया जाए तथा अगले अधिक बोलीदाता को ठेका दिया जाएगा। ठेकेदार ग्राहक द्वारा ब्लैक लिस्ट किए जाने का दायी होगा।

4. ठेकेदार का उत्तरायित्व

4.1 ठेकेदार निविदा दस्तावेजों जिन्हें ठेकागत अवधि के दौरान ग्राहक द्वारा समय समय पर संशोधित किया जाएगा, की शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार ग्राहक के परिसर में गार्ड सेवा उपलब्ध कराएगा तथा यह सदैव ठेका का भाग होगा। ठेकेदार समय-समय पर ग्राहक द्वारा दिए गए ऐसे कार्यों का पालन करेगा।

कार्य निर्देशो के अलावा, ग्राहक सभी स्थानो के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं हेतु ठेकेदार को निर्देश जारी करेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक के निर्देशो के अनुसार सभी सुरक्षा निर्देशो का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है। कर्तव्यों में लापरवाही के मामलो में अथवा निर्देशो का अनुपालन न होने के मामलो में अथवा ठेके की शर्तो के उल्लंघन के मामले में, ठेका समाप्त किए जाने के लिए दायी होगा, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा तथा ठेकेदार ग्राहक द्वारा ब्लैक लिस्ट किए जाने का दायी होगा।

4.2 कार्य निर्देशो के अनुसार तथा ग्राहक के निर्देशो के अनुसार ठेकेदार अपनी सेवाएं देने के लिए अपने वर्दीधारक तथा प्रशिक्षित कार्मिको के माध्यम से सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेगा

तथा ये नियुक्त सुरक्षा कार्मिक केवल ठेकेदार के कर्मचारी होंगे तथा ग्राहक किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा और सांविधिक देयताओं (जैसेकि ईएसआई एवं पीएफ आदि) का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

4.3 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सुरक्षा कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानो के तहत कवर किया गया है। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा कर्मचारियों को वेतन किसी भी परिस्थिति के तहत प्रचलित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

4.4 ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी सुरक्षा कम्रचारियों को ग्राहक के साथ मासिक ठेकागत राशि के अनुरूप उनका वेतन दिया गया है। यदि यह पाया जाए कि ठेकेदार ने सुरक्षा कर्मचारियों को ग्राहक के साथ मासिक ठेकागत राशि से कम वेतन दिया है तो ठेका बिना किसी पूर्व नोटिस के समाप्त कर दिया जाएगा, ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा तथा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

4.5 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सुरक्षा सेवा देते समय सुरक्षा कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआईसी के प्रावधानो तथा समय-समय पर लागू अन्य कानूनो के तहत कवर किया गया है। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ईपीएफ तथा ईएसआई के कारण कम की गई राशि तथा सुरक्षा कर्मचारी वेतन से कम की गई अन्य राशि का विवरण ग्राहक को मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाए।

4.6 ठेकेदार ग्राहक को अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर ईपीएफ, ईएसआईसी बोनस, अवकाश, वर्दी, राहत आदि जैसे सांविधिक लाभों के भुगतान का विवरण प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को तिमाही आधार पर सुरक्षा कर्मचारियों के संदर्भ में ईपीएफओ, ईएसआईसी तथा अन्य व्यवहार्य संगठन के पास जमा राशि का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

4.7 ग्राहक को किसी भी ऐसे सुरक्षा कार्मिक जिसे अनावश्यक या अन्यथा समझा जाए, को कारण सहित हटाने का अधिकार होगा तथा इसी प्रकार ठेकेदार को ग्राहक की पूर्व स्वीकृति के साथ आपातकाल में गार्ड को हटाने का अधिकार होता है।

4.8 ठेकेदार ड्यूटी के समय अपने चालकों के व्यक्तिगत दुर्घटना एवं मृत्यु के लिए अपनी कार्मिक सुरक्षा को कवर करेगा तथा ग्राहक की इस संबंध में कोई देयता अथवा दायित्व नहीं होगा।

4.9 ठेकेदार कार्य निर्देशों के अनुसार गार्ड सेवा का उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण करेगा।

4.10 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मियो को ग्राहक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की लिखित अनुमति के बिना परिसर के बाहर ग्राहक की कोई सम्पत्ति ले जाने का अधिकार न हो।

4.11 ग्राहक अपने सभी कर्मचारियो को पहचान कार्ड /पहचान पत्र दस्तावेज जारी करेगा जिसे ठेकेदार द्वारा लगाने का निर्देश दिया जाएगा।

4.12 ठेकेदार के चालक ग्राहक के कर्मचारी नहीं होंगे तथा वे इस ठेका के अन्तर्गत अपनी तैनाती/ड्यूटी से उत्पन्न होने वाले किसी अन्य, वेतन अथवा भत्ते, मुआवजा, क्षति आदि का दावा नहीं करेगें। ठेकेदार इस करार के अन्तर्गत तैनाती से पहले लिखित में उनको इस स्थिति के बारे में जानकारी देगा।

4.13 ठेकेदार अपने कर्मचारियों को अपनी स्वयं की लागत पर सभी लाभ, सांविधिक या अन्यथा भी उपलब्ध कराएगा और ग्राहक की इस कारण से कोई देयता नहीं होगी। ठेकेदार श्रम कानून, मजदूर मुआवजा अधिनियम, ईपीएफ कानूनों, ईएसआईसी कानूनों और न्यूनतम मजदूरी कानून, ठेकागत श्रम (विनियामक एवं उन्मूलन-अधिनियम) या अन्य लागू कानून का पालन करेगा।

4.14 ठेकेदार अपनी स्वंय की लागत पर अपने सुरक्षा कर्मचारियो को वर्दी प्रदान करेगा।

4.15 ठेकेदार अपने सभी कार्मिकों को ईपीएफ, श्रम, ईएसआईसी आदि के सुसंगत कानूनो के तहत कवर करेगा तथा ठेकेदार को समय समय पर ग्राहक को इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

4.16 ठेकेदार अपने कार्मिको के मासिक मजदूरी भुगतान को दर्शाने वाली मजदूरी शीट की प्रति प्रस्तुत करेगा।

4.17 नियुक्त सुरक्षा स्टॉफ के पिछले जीवन को भी स्थानीय पुलिस प्राधिकारी से ठेकेदार द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए तथा इस संदर्भ में एक वचनबद्धता ग्राहक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.18 दो पक्षे के बीच सहमत प्रचलित कार्य निर्देशो के अनुसार कथित सुरक्षा सेवाओं के सही निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उचित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

4.19 ठेकेदार स्थान-वार सभी सुरक्षा कर्मिको के उपस्थिति रजिस्टर का निर्माण सुनिश्चित करेगा। सभी स्थानो के उपस्थिति रजिस्टर को ग्रहक के सक्षम प्राधिकारी के साथ दैनिक आधार पर ठेकेदार द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

4.20 ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी एजेंसी के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक /परिचालन प्रबंधक दिन तथा रात दोनो शिफ्टो में दैनिक आधार पर गश्त करें। गश्त लगाने की रिपोर्ट ठेकेदार द्वारा ग्राहक को साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

4.21 सभी आवश्यक रिपोर्टें तथा अन्य सूचना की आवश्यक रूप में तुरन्त आपूर्ति की जाएगी तथा ग्राहक के साथ नियमित बैठक की जाएगी।

5. ठेकेदार की देयता

5.1 ठेकेदार या उसका कोई कार्मिक क्लाइंट को किराए पर वाहन सेवा प्रदान करने के प्रावधान में किसी देयता, दावा, हानि या नुकसान किए जाने तथा उनके द्वारा संविदा भंग के किसी कारण गलत कार्य, ठेकेदार या उसके कर्मचारी द्वारा की गई लापरवाही

पर ठेकेदार पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने और क्लाइंट या उसके कर्मचारियों को हानि रहित ठहराएगा।

5.2 ठेकेदार किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा तथा ग्राहक को प्रभावी रूप से निम्नलिखित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार की प्रकृति की किसी हानि,चोट क्षति, लागत या व्यय को माफ करने का अधिकार है:

5.2.1 किसी जैविक या भैतिक संदूषण अथवा किसी परमाणु जोखिम के परिणामस्वरूप अथवा उस संबंध में उत्पन्न हुई:

5.2.2 किसी भी कारण से (कम्प्यूटर वायरस तक सीमित नहीं किन्तु सहित) इलैक्ट्रानिक डाटा की हानि, क्षति, विनाश, विकृति , मिटाना, भ्रष्ट या संशोधन जब तक इलैक्ट्रानिक डाटा की ऐसी हानि, क्षति, विनाश, विकृति मिटाना या भ्रष्ट या संशोधन ठेकेदार या उसके किसी कार्मिक की लापरवाही या चूक के कारण हुई थी जो क्लाइंट को गार्ड सेवा देने को प्रावधान करते हों, के फलस्वरूप अथवा इस संदर्भ में उत्पन्न कारण को शामिल करते हुए।

5.3 ठेकेदार ठेका या उसके किसी भाग का उप ठेका, आगे किराए पर देना, हस्तातंरण या कार्य नहीं सौंपेगा । ठेकेदार द्वारा इस शर्त के उल्लंघन में, क्लाइंट ठेका अन्य जोखिम एवं लागत पर अन्य किसी और को देने का हकदार होगा और ठेकेदार उस हानि क्षति के लिए उत्तरदायी होगा जो क्लाइंट को ठेके को इस प्रकार प्रतिस्थपित करने के कारण हो सकती है।

6. ग्राहक के कर्तव्य

6.1 ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को ग्राहक द्वारा ग्राहक की सेवाएं छोडने से 6 माह की अवधि के अन्दर इसी प्रकार के अन्य किसी ठेकेदार के माध्यम से अनुबंधित या नियुक्त नहीं किया जाएगा।

6.2 प्रभावी रूप से अन्यथा प्रदत्त को छोड़कर ग्राहक अपने खर्चे पर गार्ड सेवा देने के लिए ठेकेदार के कर्मचारियों हेतु समय पर उन स्थानो पर अपेक्षित उपकरण तथा सुविधा प्रदान करेगा जहां गार्ड सेवा दी जानी है। ऐसे उपकरण तथा सुविधा में पर्याप्त गर्मी/हवा, रोशनी, विद्युत, टॉयलेट सुविधा तथा कुर्सी, पीने का पानी, कार्यालयी स्टेशनरी, फाइल लेजर, रजिस्टर आदि बिना किसी सीमा के सम्मिलित होंगे।

6.3 ग्राहक गार्ड सेवा देने के संदर्भ में ठेकेदार द्वारा लिखित में दी गई सभी सुरक्षा सिफारिशों (यदि कोई हो) का अनुपालन तथा उन्हें पूरा करेगा यदि ग्राहक द्वारा इन्हें अनिवार्य समझा जाए। ग्राहक गार्ड सेवा के संदर्भ में किसी बेईमानी , गलत या लापरवाही के कार्यो अथवा ठेकेदार के कर्मचारियों अथवा एजेंटो की चूको को उनके विषय में जानने के पश्चात जितना जल्दी हो सके ठेकेदार को अधिसूचित करेगा।

6.4 यदि आवश्यक समझा जाए तो ग्राहक ऐसी सहायता प्रदान करेगा।

7. मजदूर तथा ठेकेदार के कर्मचारी

7.1 श्रम अनुपालन

ठेकेदार ईपीएफ संगठन, ईएसआई निगम से संबंधित सभी श्रम कानूनो, कानूनो का पालन करेगा। ठेकेदार द्वारा ग्राहक को प्रत्येक माह अपने नियोजित स्टाफ के संदर्भ में ईपीएफ, ईएसआईसी के विवरण बिल के साथ प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार मजदूरी तथा भत्तो के समय पर भुगतान, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, ओवरटाइम का भुगतान, आवकाश अनुदान, कार्य करने वाले के मुआवजे का भुगतान , कार्य घंटे, सुरक्षा, महत्वपूर्ण लाभ, अवकाश, स्थाई आदेशो का निर्माण, कर्मचारियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई, भविष्य निधि योगदान का भुगतान, उपदानो का भुगतान तथा बोनस के भुगतान से संबधित मामले तक सीमित नहीं किन्तु उनके सहित पालन करेगा।

7.2 ठेकेदार मजदूर अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी देयता अधिनियम 1938, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दिल्ली शॉपस तथा अनिवार्य अधिनियम अथवा उसके तहत किसी संशोधन अथवा उससे संबंधित किसी अन्य कानून तथा समय-समय पर उसके तहत निर्मित नियमो के प्रावधानो के तहत सभी दावो, क्षतियो या मुआवजो के प्रति ग्राहक को क्षतिपूर्ति करेगा। इस संदर्भ में ग्राहक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

7.3 सुरक्षा कार्मिको की नियुक्ति

ठेकेदार ग्राहक परिसर में गार्ड सेवा देने के लिए सभी सुरक्षा तथा अन्य प्रशासनिक कर्मियों की नियुक्ति के लिए अपने प्रबंध करेगा तथा ऐसे कार्मिको की पर्याप्त तथा उचित आपूर्ति के लिए प्रबंध करने में उचित सावधानी बरतेगा परन्तु भारत में स्वीकृत व्यवस्थाएं सामान्य स्थानीय उपयोग के अनुसार तथा लागू कानूनो के अधीन होगी।

7.4 ठेकेदार के कार्मिक

7.4.1 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास ग्राहक के स्थान पर ग्राहक के परिसर का पर्यवेक्षण करने के लिए पर्याप्त, उचित तथा शिक्षित तथा ठेके के तहत ठेकेदार पर सौंपे उत्तरदायित्वो को करने तथा इसके कार्य को करने के लिए पूर्ण ध्यान देने हेतु पर्याप्त संख्या कार्मिक है।

7.4.2 ठेकेदार प्रमुख कार्मिको का विवरण उनके पूर्ण संपर्क विवरण के साथ दर्शाने वाले अपना संगठनात्मक चार्ट प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार अपने संगठन या अपने कार्मिको में किसी परिवर्तन को ग्राहक को सूचित करना जारी रखेगा।

7.4.3 ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मचारी साफ सुथरी वर्दी में होंगे (उचित नाम पट्टी सहित)।

8. ठेके की वैद्यता

ठेका, यदि दिया जाएगा तो निरन्तर संतोषजनक निष्पादन के अधीन प्रदान की गई तिथि से प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। ठेके के उल्लंघन के या न्यूनतम मांग/सांविधिक मांग पूरा न करने के मामले में, क्लाइंट को ठेकेदार द्वारा जमा

निष्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त करने के अलावा ठेके को समाप्त करने का अधिकार होगा और क्लाइंट के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर ठेकेदार ब्लैक लिस्ट करने के लिए दायी होगा। एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि को ग्राहक के कार्यालय के एकल अधिकार पर संतोषजनक सेवा के अधीन प्रत्येक वर्ष एक के दो ओर अवधियों के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

9 भुगतान

9.1 ठेकेदार के रूप में सफल बोलीदाता के चयन के बाद, समझौते के अनुच्छेदो में एक कीमत अनुसूची संलग्न की जाएगी जिसके अनुसार गार्ड सेवा के लिए क्लाइंट द्वारा ठेकेदार को सभी भुगतान किए जाएंगे।

9.2 कीमत अनुसूची में कीमते किसी सेवा कर, शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्चतर ,शिक्षा उपकर या किसी अन्य लागू कर जैसा की सरकार द्वारा समय समय पर उदग्राहय हो सकता है, के अलावा होगा और उसे लागू दर के अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा।

9.3 ठेकेदार प्रति माह बिल बनायेगा और प्रत्येक अगले माह की 5 तारीख तक उसे प्रस्तुत करेगा।

9.4 ठेके की प्रारंभिक लागत एक वर्ष तक वैध होगी, इस अवधि के दौरान क्लाइंट द्वारा किये गये किसी भी मूल्य वर्धन पर विचार नहीं किया जायेगा। तथापि, न्यूनतम मजदूरी संशोधित होने पर, ठेकेदार तदनुसार क्लाइंट से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने हेतु लिखित में अनुरोध कर सकता है, जिस पर क्लाइंट द्वारा उचित पाये जाने पर विचार किया जा सकता है और सहमति दी जा सकती है।

9.5 एक वर्ष के ठेके की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद यदि क्लाइंट द्वारा ठेके का नवीकरण किया जाता है तो लागत बढ़ाई नहीं जायेगी। तथापि, ठेकेदार, ठेका लागत में वृद्धि का दावा केवल न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि होने पर कर सकता है, जैसी और जब सरकार द्वारा वृद्धि की जाये।

9.6 ठेके भुगतानों के अतिरक्त, क्लाइंट उसके द्वारा यथाअपेक्षित किसी अतिरिक्त अधिप्राप्ति के लिए भुगतान करेगा, जो कि **कीमत अनुसूची** में निर्दिष्ट नहीं है।

9.7 सभी भुगतान भारतीय मुद्रा में आदाता खाता चैक/एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे।

9.8 क्लाइंट ठेकेदार को किए गए किसी भुगतान से लागू कानून, आयकर या कर काटना या अन्य कटौती (जैसा भी मामला हो) के अनुसार कटौती करने का हकदार है और कटौती की गई राशि ठेकेदार को किया गया भुगतान माना जाएगा। क्लाइंट की गई कटौती को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा।

9.9 कार्य के देने के आदेश के आधार पर कोई भुगतान अग्रिम में नहीं किया जाएगा और न ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था से किसी ऋण की सिफारिश की जाएगी।

10. दण्ड

10.1 ठेकेदार को तैनात किये गये सुरक्षाकर्मियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक वेतन देना होगा, ऐसा करने में विफलता पर माह की 15 तारीख तक ₹ 1000/- प्रति दिन, पेनल्टी लगाई जाएगी और उसके बाद निविदा समाप्त की जा सकती है। प्रतिभूति जमा/निष्पादन बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और ठेकेदार को क्लाइंट द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ऐसे मामलों में क्लाइंट के पास ठेकेदार के जोखिम और लागत पर सुरक्षा सेवाओं के लिए अन्य एजेंसी को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

10.2 जब भी और जहां भी यह पाया जाता है कि सौंपा गया कार्य क्लाइंट की पूरी संतुष्टि पर निष्पादित नहीं किया गया है, क्लाइंट द्वारा ठेकेदार के नोटिस में लाया जायेगा और यदि शीघ्र ही कार्यवाही नहीं की गई तो पेनल्टी खण्ड का उपयोग करते हुए ₹ 5000/- प्रति दिन प्रति शिकायत पेनल्टी लागाई जाएगी।

10.3 क्लाइंट के परिसर में न्यूनतम आवश्यक संख्या में सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक तैनात करने के अतिरिक्त, ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ठेकेदार के पास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों सहित पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध हैं। यदि सुरक्षाकर्मियों/पर्यवेक्षकों की अपेक्षित संख्या ठेके में उल्लिखित अनुसार निर्धारित संख्या से कम है तो प्रतिदिन प्रति अनुपस्थिति ₹ 5000 का जुर्माना बिल में से काटा जायेगा।

10.4 यदि ठेकेदार निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, ईपीएफ का लाभ, ईएसआईसी, अवकाश, आनुतोषिक आदि जैसी न्यूनतम वैधानिक आवश्यकताऐं पूर्ण करने में विफल होता है, और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो इसे ठेके की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा और क्लाइंट द्वारा ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त मासिक बिल और निष्पादन सुरक्षा जमा राशि भी जब्त की जा सकती है।

10.5 ठेके की किसी भी शर्तों के उल्लंघन और सुरक्षाकर्मियों की अपेक्षित संख्या प्रदान करने में ठेकेदार की विफलता पर सुरक्षाकर्मी सेवा किराये पर लेने के कारण अतिरिक्त लागत सहित सभी प्रकार की हानि के मामले में, क्लाइंट, विक्रेता द्वारा प्राथमिकता दिये गये बिलों में से यथानुपात अनुसार किराये पर लेने की दर से दोगुनी दर पर कटौती करेगा या इसके अन्तर्गत विक्रेता से देय हो जाएगा या किसी और निविदा या प्रतिभूति जमा से या क्लाइंट के क्रेडिट से सात दिनों के अन्दर उसके द्वारा मांग की जाएगी और निविदा समाप्त होने के अधीन होगी।

11. अपरिहार्य घटना-पार्टियों के दायित्व

11.1.1 'अपरिहार्य घटना' का अर्थ होगा क्लाइंट या ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर की कोई घटना, जैसा भी मामला हो, और जो प्रभावित पार्टी के यथोचित ध्यान के बावजूद अपरिहार्य हो और जो उचित दक्षता और ध्यान और अच्छी औद्योगिक प्रथाओं का उपयोग करके भी बचाया नहीं जा सकता हों और उसमें बिना किसी सीमा के निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) युद्ध, युद्धस्थिति, आक्रमण, विदेशी शत्रु की कार्यवाही और सिविल युद्ध;

(ii) विद्रोह, क्रान्ति, बगावत, गदर, साजिश, दंगा, नागरिक उपद्रव और आतंकी कार्रवाई;

(iii) हड़ताल, तोड़ फोड़, अवैध लाकआउट, महामारी, संगरोध और प्लेग;

(iv) भूकम्प, आग, बाढ़, या चक्रवात अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा।

जैसे ही यथोचित रूप से व्यवहार्य हो किन्तु अपरिहार्य घटना की किसी स्थिति के प्रारंभ की तिथि के 48 (अडतालिस) घंटे से अधिक नहीं, प्रभावित पार्टी निम्नलिखित यथोचित विवरण के साथ साथ अपरिहार्य घटना के मामले में दूसरी पार्टी को अधिसूचित करेगी:

11.1.2 अपरिहार्य घटना के प्रारंभ होने की तिथि;

11.1.3 अपरिहार्य घटना की प्रकृति और सीमा;

11.1.4 अपरिहार्य घटना की अनुमानित अवधि;

11.1.5 इस प्रकार के विलम्ब या असफलता के स्वरूप का यथोचित सबूत और निष्पादन के लिए समय पर इसका अप्रत्याशित प्रभाव और उस सीमा तक जिस तक ठेके के तहत उसकी किसी देयताओं का निष्पादन अपरिहार्य घटना द्वारा प्रभावित होता है।

11.1.5 अपरिहार्य घटना के प्रभाव को कम/मन्द करने के लिए प्रभावित पार्टी द्वारा किए गए या प्रस्तावित उपाय और उससे प्रभावित उसकी ऐसी देयताओं के निष्पादन को फिर से प्रारंभ करना।

11.1.6 अपरिहार्य घटना से संबंधित कोई अन्य सुसंगत सूचना और/या ठेके के तहत पार्टियों के अधिकार या देयताएं।

12. शासित कानून और विवादों का निपटान

12.1 इसकी शर्तों की व्याख्या सहित इस ठेके से संबंधित या उत्पन्न कोई दावा, विवाद और या भिन्नताएं (इस संविदा के अस्तित्व, वैधता या समाप्ति से संबधित विवाद सहित) संबंधित पार्टियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त चर्चा के माध्यम से सुलझाएं जाएंगे। तथापि, जैसा ऊपर बताया गया है यदि विवाद का समाधान 30 दिनों की अवधि

के अन्दर नहीं किया जाता है तो मामला मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों जिसमें आशोधन, संशोधन और भावी नियम हैं के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा नियुक्त किए गए मात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता को अधिनिर्णय के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता का स्थल नई दिल्ली होगा और मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम और पार्टियों पर बाध्य होगा।

12.2 **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** यह संविदा भारत गणराज्य के नियमों द्वारा शासित है और दिल्ली के न्यायालयों के एकमात्र क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

13. समाप्ति

यह संविदा किसी पार्टी को लिखित सूचना देकर तत्काल समाप्त की जा सकती है यदि:

13.1 अन्य पार्टी इस करार के अन्तर्गत उसकी देयताओं के प्रत्यक्ष उल्लंघन करें और इस प्रकार के उल्लंघन के मामले में जिसका सुधार किया जा सकता है ऐसे उल्लंघन का सुधार करने में असफल होने पर ऐसे उल्लंघन की सूचना तीस दिन के अन्दर प्राप्त करने; या

13.2 संविदा क्लाइंट द्वारा ठेकेदार को लिखित नोटिस देने के द्वारा तत्काल समाप्त की जा सकती है;

13.2.1 ठेके के दौरान ठेकेदार द्वारा ठेके की किसी निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन या ठेकेदार द्वारा असंतोषजनक सेवा के मामले में, क्लाइंट के सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए ठेका रद्द करने का आधिकार होगा, और क्लांइट द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा और निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा के मामले में कुछ भी देय नहीं होगा और उसे जब्त कर लिया जाएगा और क्लांइट द्वारा ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और प्रतिबंधित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

14. दावा त्यागना

ग्राहक के रिश्तेदारों/कर्मचारियो के निकट रिश्तेदारों को इस बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इस उद्देश्य के लिए निकट संबंधियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

(क) अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों के रूप में;

(ख) उनके पति या पत्नी

(ग) एक का दूसरे से इस प्रकार से संबंध जैसे पिता, माता, पुत्र, पुत्र की पत्नी (बहु), पुत्री, पुत्री का पति (दामाद) भाई एवं भाई की पत्नी, बहन और बहन का पति (बहनोई)।

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016

भाग -5

कार्य/आवश्यकताओं की अनुसूची

आवश्यकताओं की इस अनुसूची में, ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाओं का विवरण और अन्य जानकारी, क्लाइंट के निर्देश और क्लाइंट के परिसर पर तैनात ठेकेदार के कर्मचारी और ठेकेदार के ऐसे सभी अन्य पहलू उल्लिखित किये जाने चाहिये।

1. सामान्य निर्देश

1.1 ठेकेदार को क्लाइंट के निर्देश अनुसार और क्लाइंट की सुविधा अनुसार सभी सुरक्षा कर्मी तैनात करने होंगे।

1.2 ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा कि सभी सुरक्षाकर्मियों को परिसर और क्लाइंट की व्यावसायिक गतिविधियों और उससे संबंधित सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से जानकारी हो। इसलिये स्टाफ को निम्नलिखित का पालन/सुनिश्चित करना होगा:

1.2.1 आचार संहिता

ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा कि उसके सुरक्षा कर्मी

(i) हमेशा उपस्थित और सर्तक हों
(ii) समय पर आये, उनकी शिफ्ट शुरू होने से कम से कम 15 मिनट पहले पहुँचे। रिलीवर के देर से आने पर प्रति विलम्ब ₹ 500 का जुर्माना लगेगा।
(iii) अपनी ड्यूटी का प्रभार उचित और पूर्ण रूप से ले।
(iv) अपनी ड्यूटी ईमानदारी और निष्ठा से करें।
(v) अपने पद और कार्यस्थल निर्देशों को पढ़े और समझे और उसका पालन करे।
(vi) कार्यालय के सभी अधिकारियों और स्टाफ का सम्मान करें।
(vii) ड्यूटी पर शराब न पीये; या शराब पी कर ड्यूटी पर न आयें।
(viii) ड्यूटी के समय व्यर्थ बातचीत नहीं करेंगे।
(ix) अपने रिलीवर के आने तक पद नहीं छोड़ेंगें।
(x) ड्यूटी पर कभी नहीं सोयेंगे।
(xi) ड्यूटी पर अखबार या मैगजीन नहीं पढेंगे।
(xii) कोई अप्रिय घटना/कदाचार या दुर्व्यवहार होने पर ठेकेदार और क्लाइंट को तुरंत सूचित करेंगे।
(xiii) जब भी कोई संदेह हो, शीघ्र संबंधित व्यक्ति के पास जायें।
(xiv) परिसर के अंदर आवधिक रूप से चक्कर लगायेंगे।
(xv) शिफ्ट-प्रभारी को बताये बिना सुरक्षाकर्मी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। यदि आवश्यक होगा पर्यवेक्षक द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।
(xvi) सुरक्षाकर्मी अपनी जांच करवायेंगे जब भी वे अन्य शिफ्ट सुरक्षा से बाहर जायेंगे।
(xvii) अत्यधिक विनम्र और व्यवहार कुशल हों।

1.2.2 गोपनीयता

(i) क्लाइंट का फोन नम्बर और आने जाने की योजना किसी को भी नहीं दी जायेगी।

(ii) क्लाइंट के बारे में निम्नलिखित जानकारी किसी को भी नहीं दी जायेंगी।

(क) कार का प्रकार, रंग और उच्च अधिकारियों का नम्बर।

(ख) टेलीफोन नम्बर/कोई भी अन्य जानकारी।

(ग) स्थान और आने जाने की योजना।

(घ) बैठक और क्रांफ्रेंस समय।

(ङ) परिसर की कार्य-स्थल योजना।

(च) क्लाइंट का यात्रा विवरण।

1.2.3 व्यक्तिगत गतिविधि

(i) रजिस्टर में मैनुअल रूप से बनाये गये कार्मिक के आने और जाने के रिकॉर्ड

(ii) सुरक्षाकर्मी रविवार, अवकाश और देर तक कार्य करने वाले कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखेंगे।

(iii) सुरक्षा कर्मी वाहनों के आने और जाने का विवरण भी रखेंगे।

(iv) ठेके पर स्टाफ/कैजुअल मजदूर-व्यक्ति को पहचानने और सुनिश्चित करें कि कैजुअल स्टाफ ने पहचान पत्र पहना है।

(v) हाऊस-कीपिंग कर्मचारियों के आने व जाने का रजिस्टर बनाया जायेगा।

(vi) आगंतुकों से विनम्र हों और संबंधित स्टाफ के आने तक उनसे बैठने को कहें।

(vii) पहचान पत्र की जांच करें।

1.2.4 सामग्री आवागमन

(i) आने वाली सामग्री- दस्तावेजों की ठीक से जांच करें और उचित प्रविष्टि सहित मद प्राप्त करें और उसे संबंधित व्यक्ति को दें।

(ii) बाहर जाने वाली सामग्री- सामग्री भेजने से पूर्व, चालान के अनुसार उचित जांच करें। प्राधिकृत व्यक्ति की मोहर और हस्ताक्षर के बिना कोई भी सामग्री बाहर न भेंजे।

(iii) वापस करने योग्य और वापस न करने योग्य सामग्री का रिकॉर्ड बनायें। आवधिक स्थिति रिपोर्ट अर्थात सुरक्षाकर्मियों द्वारा मासिक रिपोर्ट बनाई जायेगी और देय तिथि पर वापस न की गई सामग्री पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु प्रशासन विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

(iv) अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली प्रत्येक सामग्री को चालान के अनुसार रिकॉर्ड किया जायेगा।

(v) परिसर में आने वाली सामग्री उचित चालान के साथ होनी चाहिये।

(vi) कोई भी मद प्राधिकृत व्यक्ति की लिखित अनुमति के बिना बाहर नहीं ले जाया जायेगा।

(vii) अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सामग्री हेतु दस्तावेजों को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सूची सहित कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

1.2.5 मेल और कोरियर का आवागमन

(i) सभी आने वाले कोरियर/डाक को इस कार्यालय के प्राप्ति और जारी करने वाले विभाग को भेजा जायेगा।

1.2.6 टेलीफोन हैंडलिंग

(i) **सुरक्षाकर्मियों को सुविधा हेतु लगाये गये टेलीफोन का दुरूपयोग न करने के सख्ती ने निर्देश दिये गये हैं।**

(ii) सभी कॉल का विनम्रता से उत्तर देना चाहिये।

(iii) सही संदेश प्राप्त करके शीघ्र ही संबंधित व्यक्ति को बताना चाहिये।

1.2.7 सुरक्षा प्रक्रियाऐं

(i) सुरक्षाकर्मी को सुनिश्चित करना चाहिये कि कार्यालय बंद होने के बाद सभी अवांछित लाइट और एयर कंडिशनिंग यूनिट बंद हो।

(ii) सुरक्षाकर्मी को उन कम्प्यूटरों को बंद नहीं करना होगा, जिन्हें खुला छोड़ा गया हो।

(iii) कार्यालय बंद होने के बाद प्रत्येक घंटे पर परिसर का चक्कर लगाना चाहिये।

(iv) वह कैजुअल मजदूरों/ठेकेदारों की गतिविधियों पर नज़र रखेगा।

(v) यदि उसे कुछ असामान्य, अनुपयुक्त लगता है, तो उसे प्रशासन प्रमुख को लिखित में रिपोर्ट करना चाहिये।

(vi) ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके विशिष्ट व्यक्ति द्वारा एक बार दिन में और एक बार रात में पेट्रोलिंग की जाएगी और इसकी रिपोर्ट हफ्ते में एक बार पक्षकार को दी जाएगी।

1.2.8 तलाशी/जांच प्रक्रियायें

(i) सभी ठेकागत स्टॉफ की शाम को कार्यालय परिसर छोड़ने से पूर्व पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करने से रोकता है तो तुरन्त संबंधित प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

(ii) सफाई कर्मचारियों द्वारा परिसर से बाहर जाने वाले सभी कचरे या ऐसी सभी चीजों की पूरी तरह से जांच की जाएगी।

(iii) अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो प्रशासनिक प्रमुख को सूचित किया जाएगा।

1.2.9 चेंजिंज ओवर और टेकिंग ओवर

(i) उसे लॉग बुक में पिछले शिफ्ट की प्रविष्टियां करनी होंगी और अपने रिलीवर से प्रगति योजना पर चर्चा करनी होगी।
(ii) सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक दोनों पूरे भवन की अच्छी तरह से जांच करेंगे।
(iii) रिलीवर सभी दस्तावेजों की जांच करेगा जो कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सुरक्षा से संबंधित हों।
(iv) उन्हें सभी प्रणालियों की जांच करनी चाहिए जो सुविधा/सुरक्षा के अंतर्गत हों।
(v) घटना रिपोर्ट रजिस्टर बनाया जाए।
(vi) रिलीवर गार्ड को कार्यग्रहण से पूर्व पिछले शिफ्ट गार्ड की जांच करनी चाहिए।

1.2.10 क्लीन डेस्क पॉलिसी

(i) सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दिन में अपना डेस्क छोड़ने से पूर्व अपना डेस्क साफ रखें अर्थात् टेबल के ऊपर कोई महत्वपूर्ण सामान न छूटने पाए।

1.2.11 चेंजिंज ओवर और टेकिंग ओवर

(i) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सूची प्रदान करे।

1.2.12 आग पर नियंत्रण

(i) सुरक्षा गार्डों को यह पता होना चाहिए कि अग्निशमन कहां रखे हैं/लगाए गए हैं और किसी भी आग दुर्घटना में उन्हें इसे चलाना आना चाहिए।
(ii) अग्निशमन की अवधि की जांच अर्थात् अगले रीचार्ज की निर्धारित तिथि/यदि नियत तिथि पूर्ण हो गई हो तो पक्षकार को एक लिखित शिकायत देनी चाहिए।
(iii) आग लगने की घटना में पक्षकार की संपत्ति एवं जीवन की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।
(iv) आग लगने की किसी भी घटना में, भाग कर वहां जाना, उपलब्ध लोगों को इकट्ठा करके अग्निशमन संचालनों का नियंत्रण करना।
(v) यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा गार्डों को फोन नं.-102 पर काल करके एम्बुलेंस दल बुलाना चाहिए।
(vi) आपातकाल के दौरान कर्मचारियों को यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार निपटना है।

1.2.13 आपातकालीन प्रक्रियायें

(i) सुरक्षा के पास सभी नजदीकी पुलिस थानों, अस्पताल, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का पता और फोन नं. होना चाहिए।

(ii) ठेकेदार/पक्षकार को किसी भी अनहोनी/दुराचार या दुर्व्यवहार की घटना की तुरंत सूचना दी जानी चाहिए।

(iii) सुरक्षा व्यक्तियों को सभी आपातकालीन बाहर जाने के दरवाजों और मुख्य प्रवेश द्वारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी भी सूचना पर वह उचित कदम उठा सके।

(iv) आपतकाल और इसकी संभावना की पहचान होना।

(v) आपातकाल के मामले में अलार्म बेल/सायरन बजाना (यदि उपलब्ध हो)।

आपातकालीन प्रक्रियायें

(1) चोरी/ताला तोड़ कर घुसने के मामले में सुरक्षा गार्ड द्वारा कार्रवाई

क) व्यक्ति/वाहन को रोकना

ख) मामले की जांच करना

ग) फोन नं. ..... पर ठेकेदार के नियंत्रण कक्ष को सूचित करना

घ) संपर्क व्यक्ति को सूचित करना

ङ) पेट्रोलिंग पर्यवेक्षक को सूचित करना

च) पक्षकार को सूचित करना

(2) आग लगने के मामले में
सुरक्षा गार्ड द्वारा कार्रवाई

क) ***आग बुझाने की कोशिश करना***
ख) आग लगने के मामले में गार्ड को अग्नि विभाग (फोन नं. 101) पर कॉल करना
ग) फोन नं. .....
पर ठेकेदार के नियंत्रण कक्ष को सूचित करना
घ) संपर्क व्यक्ति को सूचित करना
ङ) पेट्रोलिंग पर्यवेक्षक को सूचित करना
च) पक्षकार को सूचित करना

(3) बम की धमकी वाले कॉल के मामले में
सुरक्षा गार्ड द्वारा कार्रवाई

क) फोन नं. .....
पर ठेकेदार के नियंत्रण कक्ष को सूचित करना
ख) संपर्क व्यक्ति को सूचित करना
ग) पेट्रोलिंग पर्यवेक्षक को सूचित करना
घ) पक्षकार को सूचित करना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

भाग-6

मूल्य अनुसूची

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

अपना मूल्य उद्धृत करें

क्र.सं.	**श्रेणी**	**प्रति माह** उद्धृत मूल्य (₹)**
1.	*कृपया सुरक्षा सेवायें प्रदान करने के लिए कुल बोली मूल्य (प्रभारों) को उद्धृत करें* ***कृपया तालिका 'क' के कॉलम i का कुल शामिल करें*** *(कृपया तालिका 'क' में ब्रेक-अप उद्धृत करें)*	
	कुल बोली कीमत (प्रति माह)	
	₹	

****नोट:**

(i) बोलीदाता द्वारा बोली कीमत की तालिका 'क' में उद्धृत उपरोक्त मूल्यों के ब्रेक अप/ वर्गीकरण का उद्धरण करना आवश्यक है।

(ii) पक्षकार द्वारा भुगतान निविदा दस्तावेजों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) मूल्य केवल एक वर्ष के लिए वैध होंगे। हालांकि न्यूनतम मजदूरी में संशोधन पर ठेकेदार लिखित में पक्षकार से तदनुसार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है, जिसे उचित समझे जाने पर पक्षकार द्वारा माना जाएगा और इसकी सहमति दी जाएगी।

(iv) प्रभार 26 दिनों के महीने के आधार पर होंगे (दिल्ली के एनसीटी सरकार, श्रम विभाग के मानकों के अनुसार)।

(v) उद्धृत समेकित मासिक धनराशि में ईएसआई, पीएफ, ग्रेच्यूटी, बोनस, छुट्टी, एवजी, वर्दी और प्रशिक्षण के प्रति पक्षकार के योगदान सहित सभी प्रभार शामिल होंगे।

(vi) कीमत अनुसूची में मूल्यों में सरकार द्वारा समय-समय पर वसूला जाने वाला कोई भी सेवाकर, शिक्षा उपकर, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर या कोई अन्य लागू कर शामिल होंगे और लागू दर के अलावा ये भी प्रभारित होंगे।

(vii) ठेकेदार को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि तालिका 'क' में उल्लेख के अनुसार प्रति शीर्ष कीमत उन कर्मचारियों को मासिक मजदूरी के रूप में अदा किया जाएगा। जो विभिन्न सेवाओं के लिए पक्षकार के परिसर में तैनात हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

तालिका-'क'

(सुरक्षा कर्मचारी और पर्यवेक्षक हेतु उद्धृत अलग-अलग कीमत)

श्रेणी (क)	मूल मजदूरी (ख)	ईएसआई (ग)	ईपीएफ (घ)	ईडीएलआई (ड.)	बोनस (च)	अन्य कोई प्रभार (जैसे- छुट्टी रिजर्व, ग्रेच्यूटी, कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) (छ)	प्रतिमाह/ प्रतिव्यक्ति कीमत (ज)	आवश्यक व्यक्तियों की संख्या (8 घंटे की शिफ्ट) (झ)	गार्डिंग स्टॉफ की कुल कीमत (जXझ) (ञ)
सुरक्षा गार्ड (हथियार रहित)- दिल्ली स्थित								41	
सुरक्षा गार्ड (भूतपूर्व सैनिक- हथियार रहित)- दिल्ली								09	
सुरक्षा गार्ड (हथियार रहित)- वैशाली, गाजियाबाद (यूपी) स्थित								06	
सुरक्षा पर्यवेक्षक (हथियार रहित)- दिल्ली स्थित								06	
						सेवा प्रभार (%)			
कुल उद्धृत बोली मूल्य को निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 33 पर 'अपना मूल्य उद्धृत करें' में भी उल्लेख किया जाए।						**कुल उद्धृत बोली मूल्य (₹)**			

ठेकेदार को निम्नलिखित प्रारूप में भी सुरक्षा गार्ड (हथियार बद्ध) हेतु कीमत उद्धृत करना है। सुरक्षा गार्ड (हथियार बद्ध) हेतु उद्धरण वित्तीय बोली कीमत का भाग नहीं होगा।

श्रेणी (क)	मूल मजदूरी (ख)	ईएसआई (ग)	ईपीएफ (घ)	ईडीएलआई (ड.)	बोनस (च)	अन्य कोई प्रभार (जैसे-छुट्टी रिजर्व, ग्रेच्यूटी, कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) (छ)	प्रतिमाह/ प्रतिव्यक्ति कीमत (ज)
सुरक्षा गार्ड (हथियार रहित)- दिल्ली स्थित							

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016

भाग-7

फार्म

फार्म-1-	बोली सुरक्षा फार्म (ईएमडी हेतु प्रयोग किया जाए, यदि बैंक गारंटी द्वारा प्रस्तुत किया जाए)
फार्म-2	बोलीदाता प्रोफाइल
फार्म-3	वित्तीय क्षमता फार्म
फार्म-4	करार के अनुच्छेद
फार्म-5	निष्पादन बैंक गारंटी
फार्म-6	बोली में भाग लेने हेतु प्राधिकार पत्र
फार्म-7	रिश्तेदार न होने का प्रमाण-पत्र

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

फार्म - I

बोली प्रतिभूति फार्म

सं..... दिनांक.....

सेवा में

निदेशक.....(कार्मिक), (इसके बाद 'स्वामी' पुकार गया)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली

चूंकि मैसर्स.....(इसके बाद 'बोलीदाता' पुकारा गया) ने निविदा सं...../**जीएस/57-2016 दिनांक**.....के अनुसार ठेका आधार पर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए दिनांक.....को इसकी बोली प्रस्तुत की है। सभी ज्ञात व्यक्तियों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि हम.....में हमारा पंजीकृत कार्यालय.....है (इसके बाद 'बैंक' पुकारा जाए) ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख केवल) की राशि में स्वामी से बंधे हुए है जिसके लिए भुगतान स्वामी को किया जाएगा, बैंक स्वयं को, इसके उत्तराधिकारियों को बाध्य करता है, तथा इन मौजूद द्वारा निर्धारित करते है।

दायित्वों की शर्तें है:

1. यदि बोलीदाता बोली फॉर्म पर बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली हटाता अथवा
2. यदि बोलीदाता बोली वैधता की अवधि के दौरान, स्वामी द्वारा अपनी बोली की स्वीकृति अधिसूचित किए जाने पर

   (क) संविदा को निष्पादित करने में असफल या इनकार करना, यदि अपेक्षित है;

   अथवा

   (ख) बोलीदाता के अनुदेशों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असफल या इनकार करना

   अथवा

   (ग) स्वामी की संतुष्टि के लिए पूर्णत: या आंशिक रूप से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में असफल या इनकार करना।

हम स्वामी को अपनी मांग रखने के लिए क्रेता के बिना, इसकी पहली लिखित माँग की प्राप्ति पर उपर्युक्त राशि तक भुगतान करने का वचन देते है बशर्ते कि इस में स्वामी घटित शर्त

अथवा शर्तों को विनिर्दिष्ट करने हुए, दोनों शर्तों में से किसी एक के कारण इसके द्वारा दावा की गई राशि की माँग का औचित्य न हो।

यह गांरटी बोली दस्तावेज के.....में निर्दिष्टानुसार 120 दिनों तथा बोली वैधता की अवधि के बाद तीस (30) दिनों सहित तक लागू रहेगी तथा इस संदर्भ में कोई माँग विनिर्दिष्ट तिथि/तिथियों से पहले बैंक में पहुँच जानी चाहिए।

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

गवाह का पता

बैंक प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

शाखा का पूरा पता

शाखा का दूरभाष नं.

शाखा की फैक्स सं.

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

फर्म - 2

बोलीदाता का प्रोफाईल

1. फर्म का नाम.....
2. बोली प्रस्तुत करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम ''श्री/श्रीमती .....
3. बोली प्रस्तुत करने वाले अधिकृत व्यक्ति का पदनाम .....
4. व्यक्ति का नाम, पद, पता तथा मोबाइल नम्बर .....
5. फर्म का पता .....

   .....

   .....
6. दूरभाष नं. एसटीडी कोड के साथ (ओ).....फैक्स.....(आर)
7. बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नं. .....
8. बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का ई-मेल.....
9. संगठन का ई-मेल आईडी.....
10. वेबसाईट एड्रेस.....
11. फर्म के पंजीकरण तथा निगमीकरण का विवरण.....
    - i) प्राईवेट लिमिटेड.....
    - ii) पब्लिक लिमिटेड.....
    - iii) अन्य - कृप्या निर्दिष्ट करें.....
12. निदेशक का नाम.....
13. निदेशक की ई-मेल आईडी.....
14. निदेशक का मोबाइल नंबर .....
15. बोलीदाता का बैंक, इसका पता तथा खाता संख्या .....

    .....

    .....
16. स्थायी आयकर संख्या, आयकर सर्कल .....

(कृपया पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न की प्रतियां संलग्न करें) .....

17.सेवा कर संख्या.....

(कृप्या सेवाकर पंजीकरण संख्या की प्रतियां संलग्न करें)

18.टिन संख्या .....

19.ईपीएफ पंजीकरण संख्या .....

20.ईएसआईसी पंजीकरण संख्या .....

21.ईएमडी का विवरण

i) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी सं .....

ii) तिथि .....

iii) बैंक का नाम .....

iv) बैंक का पता .....

v) बीजी/डीडी की वैधता .....

22.निविदा शुल्क का विवरण

i) डिमांड ड्राफ्ट सं .....

ii) तिथि .....

iii) बैंक का नाम .....

iv) बैंक का पता .....

v) डीडी की वैधता .....

23.पिछले तीन वर्षों के दौरान निष्पादित सुरक्षा सेवाओं के समान कार्य का विवरण (कृपया सरकारी विभाग/ संगठन से अनुभव प्रमाणपत्र की प्रतियां प्रस्तुत करें)

निष्पादित कार्य/आदेश का विवरण	निष्पादित कार्य/ आदेश का वास्तविक मूल्य	सरकारी विभाग/संगठन का नाम	आरंभ तिथि	समाप्ति तिथि	दस्तावेज प्रमाण निम्नलिखित पृष्ठ सं. पर

घोषणा

1. मैं, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने बोली दस्तावेज में उल्लिखित निबंधन एंव शर्तों को पढ लिया है और उनके पालन का वचन देता हूँ।

2. मेरे द्वारा उद्धृत दरें वैध तथा ठेके की पूर्ण अवधि के लिए मुझ पर बाध्यकारी है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उद्धृत दरे नयूनतम दरें है जैसी भारत में किसी भी अन्य संस्था में उद्धृत हैं।
3. मैं/हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को ठेके की शर्तों के उल्लंद्यन के मामले में मेरे/हमारे द्वारा जमा बयाना राशि/प्रतिभूति जमा को जब्त करने तथा मेरी/हमारी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार देता हूँ।
4. मैं/ हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को कार्य आदेश स्वीकृत करने में एजेंसी के विफल रहने तथा/या ठेका करार निष्पादिन करने के मामले में, या सेवाएं प्रदान करने में लापरवाही के मामले में, या ठेके के उल्लंद्यन के मामले में बयाना राशि जमा जब्त करने तथा ब्लैकलिस्ट करने के लिए हमारी एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार देता हूँ।
5. मैं/ हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को निविदा दस्तावेज/ ठेका करार/ स्वीकृति पत्र के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार हमारी एजेंसी द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में विफल रहने के मामले में बयाना राशि जमा तथा ब्लैकलिस्ट करने के लिए हमारी एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार देता हूँ।
6. इस प्रकार मैं निविदा दस्तावेज/ ठेका करार में दिए गए निर्देशों के अनुसार मदों को प्रदान करने का दायित्व लेता हूँ।

स्थान:

तिथि:

बोलीदाता/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर.....

बोलीदाता का नाम.....

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

फार्म - 3

वित्तीय क्षमता हेतु फार्म

विवरण	वित्तीय वर्ष		
	2013-14	2014-15	2015-16
वार्षिक टर्नओवर			
निवल मूल्य			
वर्तमान परिसंपत्तियां			
वर्तमान देयताएं			
कुल राजस्व			
कर से पूर्व लाभ			
कर के पश्चात लाभ			

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

फार्म - 4

संविदा करार सं.....2014

यह समझौता निदेशक (का.), भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय (इसके बाद ''ग्राहक'' के रूप में संदर्भित जिस वक्तव्य में उसका अनुवर्ती तथा वारिस शामिल होगा), तथा जिसके कार्यालय का मुख्य स्थान पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के एक भाग में है, **और**

मै ..... अपने पंजीकृत कार्यालय .....पर (इसके बाद 'ठेकेदार'के रूप में संदर्भित) जिसके वक्तव्य में उसके अनुवर्ती, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा वारिस शामिल माना जाएगा यदि संदर्भ में निकाला या असंगत न हो, अन्य भागों में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए है।

I ''निविदा सं.....के अंतर्गत इसके कार्यालय परिसर तथा आवासीय परिसर पर सुरक्षा पर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने'' के लिए दिनांक.....को सूचना आमंत्रण निवदा द्वारा जहाँ ग्राहक ने खुली निविदा द्वारा बोलियां आंमत्रित की।

II और ठेकेदार द्वारा बोली दस्तावेजों के अनुसार अपनी बोली द्वारा.....प्रस्तुत की गई तथा इसमें दर्शाया कि वह सभी अपेक्षाएं पूरी करता है और सभी संसाधन उसके पास है और ग्राहक को अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम है।

III और ग्राहक ने मै. .....को सफल बोलीदाता ('ठेकेदार') के रूप में संविदा मूल्यों की बोली प्रक्रिया और समझौते के अनुसार चयनित किया है.....कुल राशि (केवल.....रूपये) के लिए दिनांक.....को ठेकेदार को स्वीकृति पत्र (एलओए) सं.....सौंप दिया गया।

IV और ग्राहक यह इच्छा रखता है कि सुरक्षा सेवाएं (बाली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुसार) ठेकेदार द्वारा उपलबध, निष्पादित, कार्यान्वित और पूरी की जाएंगी, और ऐसी सेवाएं देने के लिए ठेकेदार की नियुक्ति की आशा रखता है।

V और ठेकेदार यह स्वीकार करता है कि ग्राहक अपने परिसर में ऐसी सेवाएं के लिए अन्य ठेकेदारों/ पार्टियों के साथ ठेका कर सकता है यदि ठेकेदार निविदा दस्तावेज में बताये गये निबंधन और शर्तों का उल्लधन करता है तो इस संबंध में उसका दावा भी समाप्त हो जाएगा।

VI और इस संविदा की निबंधन और शर्तें पूर्णत: सक्षम और समान शक्ति वाली पार्टियां होने के रूप में ग्राहक और ठेकेदार के बीच तय की गई है।

VII और ठेकेदार ने पूर्णत: पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा ग्राहक के कार्यालय में सुरक्षा सेवाएं देने के लिए निविदा दस्तावेजों में दर्शाई गई सभी निबंधन और शर्तों का पालन करेगा, इसमे विफल होने पर ग्राहक द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय पर ठेके को रद्द करने का अधिकारी है।

VIII ग्राहक और ठेकेदार निम्निलिखत का अनुरक्षण करने के लिए सहमत है:

1. इस समझौते में (दोहराव सहित) मोटे शब्दों और वक्तव्यों का वही अर्थ होगा जो संबंधित संदर्भित ठेका दस्तावेजों में उनको बताया गया है।

2. निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रपत्र समझा जाएगा और इस करार के भाग के रूप में पढा जाएगा और आशय निकाला जाएगा। यह करार सभी अन्य ठेका दस्तावेजों लागू होगा।
   (क) ग्राहक द्वारा जारी स्वीकृति पत्र (एलओए)।
   (ख) ग्राहक द्वारा जारी प्रारंभ करने का नोटिस (एनटीपी)
   (ग) ठेके की विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के साथ निविदा दस्तावेज सहित पूर्ण बोली, जैसा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई।
   (घ) ग्राहक द्वारा जारी परिशिष्ट, यदि कोई है।
   (ङ) आज तक इस संविदा करार का भाग बनाने वाला कोई अन्य दस्तावेज। (निष्पादन बैंक गारन्टी, बैंक गारन्टी)
   (च) इस करार के अनुच्छेद के साथ जोड़ी गई प्रभार-अनुसूची।
   (छ) समय-समय पर कार्यान्वित पूरक करार।
3. बाद में ठेका समझौते में किए जाने वाले अपेक्षित किसी परिवर्तन/सुधार/संशोधन पर चर्चा की जाएगी तथा दोनों पार्टियों द्वारा परस्पर सहमति ली जाएगी और ऐसे पूरक समझौते दोनों पार्टियों पर लागू होंगे तथा इस ठेका समझौते का भाग होंगे।

4. यह संविदा भारत के कानून अनुसार शासित और निर्मित मानी जाएगी। प्रत्येक पार्टी ठेके की शर्तो के अनुसार मतभेद समाधान प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

VII साथ ही प्रमाण के रूप मे पार्टियां तैयार किए गए समझौते को विनिर्दिष्ट दिन, महीने और वर्ष पर भारतीय कानून के अनुसार पालन करेंगी।

ठेकेदार की ओर से हस्ताक्षरित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय की ओर से हस्ताक्षर

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

प्रपत्र-5

निष्पादन बैंक गारंटी

(उचित मूल्य वाले गैर-न्यायिक मुद्रांक कागज पर दी जाए)

दिनांक : .....

बैंक गारंटी सं.:.....
गारंटी राशि:.....
गारंटी अवधि:…….....से.....तक
गारंटी समाप्ति तिथि:.....
प्रस्तुतीकरण करण की अंतिम तिथि:…....

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय **(''एनएटीआईएस'')** पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 110124 ने अपने कार्यालय में *[कृपया स्वीकृति पत्र (एलओए) की स्वीकृति की तिथि डालें]*.....को संविदा को अनिवार्य रूप से कार्यान्वित किया **(''संविदा'')** *[सफल बोली दाता का नाम डालें]*.....किराया सुरक्षा सेवाओं **(''सुरक्षा सेवाएं'')** के निष्पादन, कार्यानवयन और उपलब्ध कराने के लिए (इसके बाद ''ठेकेदार'' के रूप में (इसके बाद 'मालिक' के रूप में संदर्भित जिसका वक्तव्य इस तथ्य के अलावा असंगत न हो तो अपने विधिक प्रतिनिधियों अनुवर्तियों और वारिसो सहित को शामिल करता है) अनुमत) निविदा दस्तावेज संख्या *[निवदा दस्तावेज की संदर्भ संख्या डालें]* दिनांक *[निविदा दस्तावेज को जारी करने की तिथि डालें]* ..... और इसके भाग के रूप में अन्य विभिन्न दस्तावेज में बताये गये निबंधन और शर्तों को आधार पर संविदा में इसका निहित अर्थ होगा। **और** संविदा की एक शर्त कि ठेकेदार निष्पादन बैंक गारंटी उत्तरदायित्व और की गई आपूर्तियों के लिए ठेकेदार के अन्य उत्तरदायित्व और संविदा के अंतर्गत उपलब्ध और कार्यान्वित सेवाओं सहित संविदा राशि (यहां इस बैंक गारंटी के अंतर्गत गारंटी की गई राशि **''गारंटी के रूप में दी गई राशि''** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के 10% (10 प्रतिशत) के समान एक राशि के लिए नई दिल्ली की किसी शाखा में भारत में किसी निर्धारित बैंक से मालिक को एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा । यह बैंक गारंटी यहां दी गई तिथि से इसकी किसी समय विस्तार सहित संविदा अवधि की समाप्ति तक की तिथि तक वैध होगी।

और ठेकेदार का [यहां के बाद ''**बैंक**'' के नाम के रूप में संदर्भित] [पता डालें] ..... पर जिनका अपना पंजीकृत कार्यालय है और ठेकेदार के अनुरोध पर तथा ठेकेदार द्वारा किये गये वादों को ध्यान में रखते हुए बैंक ऐसी गारंटी देने के लिए सहमत है जो इस प्रकार है:

(i) बैंक इस गारंटी के अन्तर्गत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है मालिक द्वारा की गई मांग पर केवल ठेकेदार की किसी पूछताछ या अधिसूचना के बिना आगे के किसी प्रमाण या शर्तों के बिना या आपत्ति आरक्षण, विवाद, अवलंब या विरोध के बिना और मालिक द्वारा दावा की गई गारंटी के रूप में दी गई राशि केवल ठेकेदार से किसी पूछताछ या अधिसूचना के बिना मालिक द्वारा दावा की गई गारंटी राशि बताते हुए दावा की गई राशि संविदा के अन्तर्गत मालिक को देय होगी। इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत बैंक द्वारा देय और भुगतान योग्य राशि के संबंध में मालिक द्वारा बैंक से की गई ऐसी कोई मांग निर्णायक होगी और ऐसी मांग में मालिक द्वारा दावा की गई कुल राशि, जो भी हो, किसी कटौती या छूट या प्रतिदावों बिना बैंक अदा करेगा। मालिक इस बैंक गारंटी के अंतर्गत असीमित संख्या में मांग करने का अधिकार होगा बशर्ते कि इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत बैंक द्वारा माल को अदा की गई सभी राशियों का औसत गारंटी राशि से अधिक नहीं होगा। पीबीजी मूल्यों में परिर्वतनों के परिणामस्वरूप मांग के प्रत्येक मामले में, मालिक मूल्य में संशोधन के लिए बैंक से मौजूदा पीबीजी को सौंपेंगे।

(ii) यद्यपि, इस बैंक गारंटी के अंतर्गत बैंक की देयता किसी निश्चित राशि से अधिक नहीं होगी [गारंटी राशि के आंकडे यहां डालें] ..... केवल)।

(iii) मालिक को बैंक के संदर्भ के बिना और ठेको के अंतर्गत मालिक को प्रदत्त किसी शक्ति और अधिकारों का प्रयोग किसी समय या समय-समय पर स्थगित करने के लिए बैंक गारंटी को प्रभावित किये बिना तथा किन्हीं शक्तियों या अधिकारों को लागू करने के लिए या अनुमति देने के लिए या निश्चितता संबंधी कानून के अंतर्गत ठेकेदार को दिये गये समय के कारणों के अनुसार होगा परन्तु प्रावधानों के लिए सुरक्षा देने के प्रभाव होंगे।

(iv) बताये गये ढंग से बैंक से गारंटी राशि की वसूली के लिए मालिक के अधिकार इस तथ्य के आधार पर प्रभावित या रद्द नहीं होंगे कि ठेकेदार द्वारा उठाये गये कोई विवाद या विवादों और /या कोई विवाद (विवादों) ऐसी गारंटी राशि और या संविदा के संबध में किसी कार्यालय, न्यायधिकरण या कोर्ट के सामने लंबित हैं।

(v) इसमें दी गई गारंटी ठेकेदार के ऋण शोधन या रोकना, विघटन, संविधान में परिवर्तन या दिवालियेपन से प्रभावित नहीं होगी परन्तु यह सभी रूपों और सभी उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध होगी और ऐसी देयता या देयताओं के संबंध में मालिक के कारण सारी राशि के भुगतान तक संचालन प्रभावित होगा।

(vi) यह बैंक गारंटी भारत गणराज्य के कानून के अनुसार शासित होगी और समझी जाएगी और इस बैंक को पार्टियां किसी विवाद या मत भेद, जो पैदा हो सकते हैं या या इस बैंक गारेटी के संबंध में और इस बैंक गारंटी के अंतर्गत लागू करने के उद्देश्यों हेतु; को निपटाने के उद्देश्य हेतु नई दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत करेगें।

(vii) प्रयोग किये गये मोटे दर्शाये सभी शब्दों को जिनको परिभाषित नहीं किया गया; के अर्थ को संविदा के अंतर्गत प्रयोग के अनुसार होंगे।

(viii) उपर्युक्त कथन के बावजूद इस गारंटी के अन्तर्गत बैंक की देयता गारंटी राशि के लिए प्रतिबद्ध है और यह बैंक गारंटी संविदा के अन्तर्गत वारंटी अवधि के समाप्त होने पर समाप्त होगी।

(ix) जब तक कि इस बैंक गारंटी की समाप्ति तिथि से नियत अवधि के अन्दर कोई मांग फाईल नहीं की जाती, इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत सभी अधिकार मालिक से जब्त कर लिये जायेंगे और इसके अंतर्गत बैंक सभी देयताओं से मुक्त और खारिज कर दिया जाएगा।

(x) यद्यपि, मालिक के विचारानुसार, यदि ठेकेदारों के उत्तरदायित्वों जिनके प्रति इस बैंक गारंटी को दिया गया का पूरा नहीं जाता या संविदा के अन्तर्गत अवधि में ठेकेदार द्वारा पूर्णत: निष्पादित नहीं किया जाता; ठेकेदार के अनुरोध पर बैंक गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो सकता है जब तक कि ठेकेदार संविदा के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व पूरे नहीं करता।

(xi) हमरे पास ज्ञापन और समझौता अनुच्छेद के अंतर्गत इस बैंक गारंटी के पक्ष में जारी करने का अधिकार है तथा अधोहस्ताक्षरित के पास दिनांक..... [मुख्तानामा तिथि डाले] को बैंक द्वारा उसे मुख्तार नाम के अंतर्गत यह करने की पूरी शक्ति है।

तिथि:

बैंक

बैंक की कार्पोरेट सील

बैंक की तरफ से किसी सक्षम प्राधिकारी से अटार्नी हस्ताक्षर के द्वारा गठित

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

प्रपत्र **6**

(बोली प्रारंभ में उपस्थित रहने के लिए अधिकार पत्र)

बोली प्रारंभ में उपस्थित रहने के लिए अधिकार पत्र

(बोली प्रारंभ में समय पर या पहले पहुँचने के लिए)

सेवा में,

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (सा.से.)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग ,
नई दिल्ली

विषय: ..... की संविदा में ..... (तिथि) पर बोली प्रारंभ में उपस्थिति हेतु अनुज्ञप्ति ।

निम्नलिखित सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर वरीयता अनुसार ..... (बोलीदाता) की ओर से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट निविदा के लिए बोली प्रारंभ में भाग लेने के लिए अधिकृत अनुज्ञप्ति दी जाती है।

वरीयता क्रम	**नाम**	**प्रतिरूप हस्ताक्षर**
I.		
II.		

वैकल्पिक प्रतिनिधि
बोली दाता के हस्ताक्षर

या

बोली पर हस्ताक्षर के लिए अधिकृत
बोलीदाता की ओर से दस्तावेज

टिप्पणी: 1. अधिकतम दो प्रतिनिधियों को बोली प्रारंभ में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। एक पर सीमित होने के मामलों में, पहली वरीयता को अनुमति दी जाएगी। वैकल्पिक प्रतिनिधि को अनुमति तभी दी जाएगी जब नियमित प्रतिनिधि उपस्थित रहने में सक्षम नहीं होंगे।.

2. हॉल; जहां बोली प्रारंभ की जाएगी, में प्रवेश की अनुमति उपर्युक्त अनुज्ञप्ति पत्र प्राप्त न करने के मामले में रद्द की जा सकती है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

प्रपत्र-7

निविदा में नजदीकी रिश्तेदारों की गैर-भागीदारी पर प्रमाणपत्र

मैं_____, पुत्र _____

निवासी_____ यह प्रमाणित करता हूँ कि निविदा दस्तावेजों की धारा 12 में परिभाषित अनुसार मेरा कोई भी रिश्तेदार निविदा दस्तावेज में दिये गये विवरण के अनुसार सीएजी के कार्यालय में कार्यरत नहीं हैं। यदि किसी भी समय,यह पाया गया कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी झूठी/गलत है, सीएजी का कार्यालय को मुझे बिना किसी पूर्व जानकारी के, कोई भी कार्यवाही जो भी ठीक समझी जाये करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षरित _____

बोली दाता की ओर से और के लिये

नाम (बड़े अक्षरों में) _____

पदनाम _____

तिथि _____

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016

भाग-8

जांच-सूची

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं.372/जीएस/57-2016 **दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016**

बोलियों की तैयारी पर जांच सूची\

क्रम सं.	विवरण	हाँ/नहीं
1.	क्या आपने निविदा दस्तावेज की सभी निबंधन और शर्तों को पढ़ा और समझा है और क्या आप सहमत हैं?	
2.	क्या आपने बोली प्रपत्र भरा है और हस्ताक्षर किये हैं?	
	तकनीकी बोली	
3.	क्या तकनीकी बोली में 5,00,000/- का ईएमडी संलग्न किया है?	
4.	क्या आपने निर्धारित पेपर आकार में निविदा के सभी भागों के प्रिंट लिये हैं और निविदा दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किये हैं?	
5.	क्या आपने न्यूनतम योग्यता मानदंड को पूरा दर्शाने वाले प्रमाण संलग्न किये हैं?	
5.1	विधिक वैधता सत्व: क्या आपने फर्म/कम्पनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं?	
5.2	वित्तीय क्षमता: क्या आपने लेखापरीक्षित तुलन-पत्र संलग्न किये हैं?	
5.3	सरकारी निकायों जैसे ईएसआईसी, ईपीएफ, श्रम कानूनों के साथ पंजीकरण: क्या आपने प्रत्येक प्रमाण पत्र की एक पंजीकरण प्रति संलग्न किये हैं?	
5.4	अनुभव: एवं लाइसेंस क्या आपने विगत पांच वर्षों के सरकारी विभागों होटल प्रबंधन द्वारा जारी किये गये सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं? क्या आपने पीएसएआर अधिनियम 2005 से लाईसेंस की प्रति भी संलग्न की है?	
6.	क्या आपने तकनीकी बोली में बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकरण के प्रमाण संलग्न किये हैं?	
7.	क्या आपकी तकनीकी बोली निविदा की आवश्यकताओं के अनुसार	

	पैक की गई है?	
	वित्तीय बोली	
8.	क्या आपकी तकनीकी बोली प्रस्ताव सभी पृष्ठों पर सही ढंग से भरा, सील और हस्ताक्षरित किया गया है?	
9.	क्या आपने प्रत्येक श्रेणी के प्रति मूल्य उद्धृत किये हैं?	
10.	क्या आपने वित्तीय बोली को निविदा के अनुसार पैक किया है ?	

हस्ताक्षरित

नाम

मुहर